प्रकाशक —

अखिल भारत चर्खा संघ,

बजाजवाड़ी वर्धा, सी पी

[प्रथम आवृत्ति १००० प्रति]

विषय-सूची

भूमिका

संघ की स्थापना को आज १७ साल बीत चुके हैं। इस अर्से में संघ को तरह २ की परिस्थितियों में से गुजरना पड़ा है। कई समस्याओं को सुलझाना पड़ा है, और कितने ही संकटकालों का सामना भी करना पड़ा है। फिर भी संघ के काम का फैलाव दिन २ बढ़ता ही रहा है, और अभी कई गुना बढ़ने की उम्मीद है। आज करीब १५ हजार देहातों के अन्तर्गत ४ लाख से अधिक कामगारों को संघ और संघ से प्रमाणित खादी कार्य करने वालों के जरिये रोजी मिल रही है। अपनी झोंपड़ियों में ही रहकर, अपनी खेती या अन्य धंधों को सम्हाल कर, अपनी इच्छा और सुविधा के अनुसार, इतने कामगार जब चाहें तब और जितना चाहें उतना काम करके लाभ उठा सकते हैं, ऐसी योजना से काम करने वाली और कोई दूसरी संस्था हमारे सामने नहीं है। आज तक का मोटा हिसाब यह बतलाता है कि संघ ने ४ करोड़ १० लाख से अधिक रुपये ऐसे कामगारों में काम के जरिये पहुंचाये हैं।

इस फैलाव का सारा आधार और इसका उज्वल भविष्य कार्यकर्ताओं पर ही निर्भर है। यदि इतनी शक्ति के हजारों कार्यकर्ता न होंगे तो इसे आगे बढ़ाने की उम्मीद नहीं की जा सकती। त्याग करने की भावना और सेवा के साथ २ व्यवहार पटु कार्यकर्ता ही संघ की सही पूंजी है, और यह पूंजी कैसे बढ़े इसकी संघ को फिक्र है। इसके लिये संघ कई तरह के प्रयत्न कर रहा है। यह 'मार्ग सूचिका' इसी प्रयत्न का एक फल है।

इस महत्व की चीज को यदि परिपूर्ण रूप में प्रकाशित किया जा सकता तो हमें अधिक संतोष होता; मगर संघ के अनेकविध कामों की खींचतान में, और खास करके आजकी इस विषम परिस्थिति में हमारी यह इच्छा पूरी नहीं हो सकी है। तीन में से केवल दो हिस्से ही अब तक लिखे जा सके हैं— और वे भी सम्पूर्ण नहीं हैं। विशेष करके दूसरा भाग केवल एक शाखा के (मध्यप्रांत महाराष्ट्र शाखा के) अनुभवों से तैयार किया गया है। इसमें संदेह नहीं कि अन्य शाखाओं के लिये इसमें उपयोगी सामग्री है। परन्तु, यह भी उतना ही संभव है कि दूसरी शाखाओं के कई महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे की सामग्री इसमें न हो। ऐसी अधूरी हालत में भी 'मार्ग-सूचिका' शीघ्र से शीघ्र प्रकाशित करने की जरूरत इसलिये समझी गई है कि काम के फैलाव के साथ २ नये कार्यकर्ताओं की तादाद बहुत बढ़ गयी है। पुराने अनुभवों का कोई साहित्य उनके मार्ग-दर्शन के लिये उपलब्ध नहीं है। परिपूर्ण साहित्य तैयार करने में अत्यधिक विलंब का भय है। जितना साहित्य बन सका है उतना ही ऐसे कार्यकर्ताओं के हाथों में पहुंचा

जाय तो कार्यक्रम चलाने में उन्हें मदद मिल सकती है। हमने यह भी आशा रखी है कि जो कार्यकर्ता पुराने हैं, और अनुभवी हैं वे इसका अभ्यास करके अपने अनुभवों की फेहरिस्त हमारे पास भेजेंगे, जिससे इसका दूसरा संस्करण निकालते समय काम आ सके। हमने इस पहले संस्करण को अपने कार्यकर्ताओं के हाथों में पहुंचाने लायक बनाने में जल्दी की है। पाठक देखेंगे कि दूसरे भाग की भूमिका संघ के मंत्री श्री जाजूजी ने स्वयं लिखी है। मुख्य भूमिका लिखने की उनकी इच्छा पूरी हो उसके पहले ही ता. १०-८-४२ को सरकार उन्हें उठा ले गई। इसलिये मंत्रीजी की आज्ञा से यह भूमिका लिखने की, और इस रूप में मार्गदर्शिका प्रकाशित करने की धृष्टता मैंने की है।

कृष्णदास गांधी,
सहायक मंत्री,
अखिल भारत चर्खा संघ, वर्धा

ता. २६-९-४२

अखिल भारत चर्खा संघ

मार्ग-सूचिका

भाग पहला

भारत के बेकार गरीबों को काम मिलने की दृष्टि से कपड़ा बनाने का काम बड़े बड़े कारखानों में न होकर घर घर में चले यह विचार पूज्य गांधीजी का सन् १९०८ ई० का है जब कि उन्होंने 'हिन्द स्वराज' पुस्तक की रचना की थी। पर यह विचार 'हिन्द स्वराज' की रचना के बाद भी बहुत दिनों तक कार्यरूप में परिणत नहीं हुआ। हिन्दुस्तान में लौटने पर जब गांधीजी ने सन् १९१५ ई० में अहमदाबाद के नजदीक कोचरब में सत्याग्रहाश्रम कायम किया तो आश्रम के सदस्यों के लिये कपड़े खुद तैयार करके पहनना लाजिमी रखा था। परन्तु सूत के लिये कारखानों पर निर्भर रहना पड़ता था। पूज्य गांधीजी को यह ठीक न लगा; तब वे हाथ कताई के काम में लगे। उस समय के उनके कुछ लेख नीचे उद्धृत किये जाते हैं —

ता० १४-२-१९१६

मुझे केवल अपने पड़ोस में बनी चीज का उपयोग करना चाहिये, और उन उद्योगों में जहां कहीं भी कमी हो उसकी पूर्ति करके उन्हें परिपूर्ण बनाना मेरा कर्तव्य है।

आर्थिक और औद्योगिक क्षेत्र में 'स्वदेशी' का नाशकारी त्याग ही प्रजा की नितांत निर्धनता का कारण है।

हाथ करघे का धंधा मृतप्राय दशा में है।

मैं किसी अन्य देश को हानि नहीं पहुंचाता। अपने स्वभाव से मैं अपना ध्यान अपनी जन्मभूमि में ही लगाता हूं। मेरी सेवा स्पर्धा या विरोधी स्वरूप की नहीं है।

ता० १०-१२-१९१९

हम तो वर्तमान स्वराज्य है उसके आदर्श लिये भारत और ग्राम का जगाना। यदि हम विदेशी कपड़ा खरीदते रहें तो हम भारतीय बुनकरों और कातिनों को अन्य बदले में कुछ कार्य दिये बिना ही उन्हें उनके धन से वंचित करते हैं।

बिना किसी सहायक धंधे के भारतीय कृषक का नाश निश्चित है। वह केवल किसानी से अपना पेट नहीं पाल सकता। उसे सहकारी उद्योग की आवश्यकता है। चरखा का उद्योग सुगम, सरल और सस्ता है।

ता० २१-५-१९२०

बेकार स्त्री को चर्खा दे दो, फिर उसे भिक्षा माँगने पर बैठने के दूसरा उद्योग ढूंढने की आवश्यकता नहीं।

खादी उन्हें मदद पहुंचाती है, जो भूखे हैं।

चर्खा और करघे का पुनर्जीवन भारत के आर्थिक और नैतिक पुनरुत्थान में सबसे बड़ी मदद पहुंचायेगा। यदि लाखों को भूख से बचाना है, तो उन्हें प्रत्येक घर में पुनः चर्खा पहुंचाने में मदद करनी चाहिये, और प्रत्येक ग्राम में फिर जुलाहा बसाना चाहिये।

ता० १८-८-१९२०

भारत की आवश्यकता का सारा सूत और सारा वस्त्र हाथ-कताई और हाथ-बुनाई से पैदा हो सकता है। हिन्दुस्तान को अपने मुख्य कृषि व्यवसाय और किसी पूरक धंधे की जरूरत है। भारत के करोड़ों लोगों के लिये हाथ कताई ही एक ऐसा उद्योग है।

मिल उद्योग को बिना क्षति पहुंचाये केवल प्रचार और रुचि के परिवर्तन से इस राष्ट्रीय उद्योग का पुनर्जीवन हो सकता है।

अकाल के समय में भी संकट का मुकाबिला करने के लिये हाथ कताई एक बनी बनाई बीमा-पालिसी है।

इस हाथ-कताई के काम को कांग्रेस ने भी उत्तेजन दिया। पहले पहल अमृतसर कांग्रेस में सन् १९१९ में राष्ट्रीय महासभा (इण्डियन नेशनल कांग्रेस) के सामने हाथ-कताई और हाथ-बुनाई के धंधों को फिर जिलाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सितम्बर, सन् १९२० ई० में कलकत्ते में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में कांग्रेस के प्रस्तावों में पहिली बार खादी का उल्लेख हुआ जिसमें कहा गया कि प्रत्येक स्त्री, पुरुष और बालक को सूत कातना चाहिये और खादी का व्यवहार करना चाहिये।

दिसबर, सन् १९२० ई० में नागपुर कांग्रेस में कलकत्ते वाला प्रस्ताव दुहराया गया।

मार्च सन् १९२१ में बेजवाडा में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की सभा में २० लाख चर्खे चलाये जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ जिससे भिन्न भिन्न कांग्रेस कमेटियाँ खादी का प्रचार करने लगीं।

सन् १९२२ में देश में होने वाले खादी के कार्य पर देख रेख रखने के लिये अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने 'अखिल भारतीय खादी विभाग' की स्थापना की।

सन् १९२३ ई० में कोकोनाडा कांग्रेस में बढ़ते हुए कार्य को सभालने के लिये 'अखिल भारत खादी मण्डल' बनाया गया।

अखिल भारत खादी मण्डल को अखिल भारतीय खादी विभाग से रु० १२,३६,७४६ १३ ० की निधी काम में लगी हुई मिली थी।

सितम्बर सन् १९२५ ई० में पटना की अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की सभा में खादी कार्य का भार पूज्य गाँधीजी द्वारा स्थापित अखिल भारत चर्खा सघ को सौंपा गया। गाँधीजी ने नीचे लिखे प्रस्ताव से पटने में २३ सितबर, सन् १९२५ ई०, को अखिल भारत चर्खा सघ को जन्म दिया —

> चूकि हाथ से कातने की कला और खादी का विकास करने के लिये उसके विषय की समग्र जानकारी रखने वाली एक सस्था स्थापित करने का समय आ पहुचा है और चूकि अनुभव से यह सिद्ध हो चुका है कि राजनीति, राजनैतिक उथल पुथल और राजनैतिक सस्था के नियत्रण और प्रभाव से दूर रहने वाली एक स्थायी सस्था के बिना ऐसा विकास हो सकना सम्भव नहीं है इसलिये अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की स्वीकृति से इस प्रस्ताव के द्वारा कांग्रेस सगठन के अन्तर्गत किन्तु स्वतन्त्र अस्तित्व और सत्ता रखनेवाली 'अखिल भारत चर्खा सघ' नाम की सस्था स्थापित की जाती है।

सघ की स्थापना के समय उसका विधान नीचे लिखे अनुसार था :—

अखिल भारत चर्खा संघ

का

विधान

१ इस संघ में सदस्य, सहयोगी, और चंदा दाता, जिनकी व्याख्या आगे दी गई है, हुआ करेंगे, तथा उसकी एक कार्यकारिणी समिति होगी, जिसके निम्न सदस्य होंगे, और वे पांच वर्ष तक अपने पद पर रहेंगे —

१		महात्मा गांधी,	सभापति
२		मौलाना शौकतअली	
३	श्रीयुत्	राजेन्द्रप्रसाद	
४	,,	सतीशचन्द्र दास गुप्त	
५	,,	मगनलाल खु. गांधी	
६	,,	जमनालाल बजाज,	कोषाध्यक्ष
७	,,	साब कुरैशी	मंत्रीगण
८	,,	शंकरलाल बैंकर	मंत्रीगण
९	,,	जवाहरलाल नेहरू	मंत्रीगण

२ कार्यकारिणी-समिति के अधिकार —इस समिति को अखिल भारत खद्दर बोर्ड, और सब प्रांतीय खद्दर बोर्डों की सब रकम, माल जायदाद लेने, इस धन सम्पत्ति तथा अन्य रकमों का उपयोग करने, तथा अभी उक्त खद्दर बोर्डोंपर जो आर्थिक जिम्मेवारी है, उसे अदा करने का पूरा अधिकार रहेगा।

३ कार्यकारिणी समिति को हक होगा कि वह हाथकताई और खद्दर के काम का विकास करने के लिये कर्ज लेवे, चंदा जमा करे, स्थावर जायदाद प्राप्त करे। योग्य जमानत पर रकम लगावे, रहन लिख देवे, और लिख लेवे, खद्दर संस्थाओं को कर्ज, इमदाद, अथवा बाउंटी के रूप में आर्थिक सहायता करे, हाथ-कताई सिखाने के लिये विद्यालय या संस्थायें चलावे, अथवा ऐसे विद्यालय या संस्थाओं को मदद देवे खद्दर भण्डार खोले या उनको मदद देवे खद्दर सेवक स्थापित करे कांग्रेस की ओर से खुद काता हुआ कांग्रेस का चंदा-सूत लेवे, प्रमाण-पत्र देवे, अपने उद्देशों की पूर्ति के लिये जो बातें करना जरूरी हो, वे सब

करे। इसको यह भी अधिकार होगा कि वह संघ के अथवा कौंसिल के कारोबार चलाने के लिये नियम बनावे, और अभी के विधान में समय २ पर आवश्यक मालूम हों वे संशोधन करे।

४ अभी की कौंसिल में के मृत्यु, इस्तीफा या अन्य कारण से रिक्त हुए स्थान बाकी के सदस्य भर लेंगे।

५. कौंसिल को अधिकार होगा कि वह अपने सदस्यों की संख्या किसी समय अधिक से अधिक १२ तक बढ़ा सके। कार्यकारणी-समिति की सभा का कोरम चार सदस्यों का होगा।

६ सारे निर्णय बहुमत से किये जायेंगे।

७ कार्यकारिणी-समिति नकदी या माल के रूप में मिलने वाले सब चंदे, दान और फीस का पूरा बराबर हिसाब रखेगी। कोई भी बहीखाते देख सकेगा, और हर तीन महीने में योग्य आडिटरों द्वारा हिसाब का आडिट कराया जायेगा।

८ संघ का केन्द्रीय कार्यालय, सत्याग्रह आश्रम, साबरमती में रहेगा, और जो व्यक्ति कांग्रेस का सदस्य होना चाहे वह अपने चंदे का सूत केन्द्रीय कार्यालय को नीचे लिखे फार्म में दी हुई तफसील लिखकर भेजे।

सेवा में,

श्रीमान् मंत्री जी,

अखिल भारत चर्खा संघ,

साबरमती

मान्यवर,

मैं, नेशनल कांग्रेस के चन्दे के लिए खुद का काता हुआ सूत गज, वजन भेज रहा हूँ। मैं कांग्रेस कमेटी का सदस्य हूँ होना चाहता हूँ। मेरी उम्र साल की है, और मेरा पेशा है। मेरा है।

ता०

हस्ताक्षर

(कृपया हस्ताक्षर साफ लिखें, महिला सदस्य यह भी लिखें कि वे विवाहित हैं या नहीं)

९ चंदे (सूत) के मिलने पर मंत्री जो उसके परिचय और आदि को देखकर यदि ठीक पाये तो निम्नलिखित ढंग पर प्रांतीय—कांग्रेस कमेटी को प्रमाण पत्र भेज दें —

"यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री ग्राम ने अखिल भारत चर्खा संघ को गज सूत, प्रांतीय कांग्रेस कमिटी की कांग्रेस कमेटी की सदस्यता वर्ष के लिए भेजा है, इस प्रमाणपत्र की एक एक नकल मंत्री जी के हस्ताक्षर सहित सूत भेजने वाले को दी जाय।

१० केन्द्रीय कार्यालय कांग्रेस सदस्यता के लिए आये हुए सारे सूत का तफसील वार हिसाब रखे।

सदस्य

११ अ भा च संघ के दो तरह के सदस्य हुआ करेंगे—'अ' और 'ब'।

(१) 'अ' वर्ग के सदस्य वही हुआ करेंगे जो उम्र में १८ वर्ष से ऊपर हों, आदतन खादी पहिनते हों, और जो स्वयं काता हुआ, समान और अच्छे कस का मासिक १००० गज सूत कोषाध्यक्ष को या किसी अन्य अधिकृत व्यक्ति या संस्था को दें।

(२) 'ब' वर्ग के सदस्य वही हुआ करेंगे जो उम्र में १८ वर्ष से अधिक हों, आदतन खादी पहिनते हों, तथा जो सालाना स्वयं काता हुआ, समान व अच्छे कस का २००० गज सूत दें।

१२ कांग्रेस की सदस्यता के लिए अ भा च संघ को दिया गया सूत संघ के चन्दे का हिस्सा माना जायेगा।

सदस्यों के अधिकार और कर्त्तव्य

१३ 'अ' और 'ब' दोनों वर्गों के सदस्यों का कर्त्तव्य होगा कि वे हाथ कताई और खादी का प्रचार करें।

१४ सदस्यों को अधिकार होगा कि वर्तमान कार्यकारिणी समिति का समय समाप्त होनेपर व 'अ' वर्ग के सदस्यों में से कार्यकारिणी समिति चुन लेवें। आज से ५ वर्ष बाद योग्य रीति से बुलाई गई सभा में उपस्थित सदस्यों में से तीन चौथाई बहुमत से संघ के विधान में रद्दो बदल की जा सकेगी।

१५ यदि किसी एक स्थान में ५० सदस्य बन जावें, तो वे 'अ' वर्ग के सदस्यों में से कार्यकारिणी समिति को स्थानिक विषयों पर सलाह देने के लिए ५ सदस्यों की एक सलाहकार समिति बना सकेंगे।

सहयोगी सदस्य

१६ वे लोग, जो अखिल भारत चर्खा संघ को सालाना पेशगी १२) चंदा दें, तथा आदतन खादी पहिनते हों, सहयोगी सदस्य माने जायेंगे।

१७ कोई व्यक्ति जो आदतन खादी पहिनता हो, तथा संघ को एक मुश्त ५००) पेशगी दे, संघ का आजीवन सहयोगी बन सकेगा।

१८ सभी सहयोगी सदस्य (संघ के) वक्तव्य, वार्षिक-तलपट, तथा वार्षिक-विवरण निःशुल्क पाने के अधिकारी होंगे।

१९ प्रत्येक व्यक्ति जो संघ का सदस्य बनना चाहे नीचे दिए फार्म पर प्रार्थना-पत्र भेजे —

सेवा में,
श्रीमान् मंत्री जी,
अखिल भारत चर्खा संघ,
साबरमती

मान्यवर,

मैंने अखिल भारत चर्खा संघ के नियम पढ़े हैं। मैं —वर्ग/सहयोगी— सदस्य बनना चाहता हूँ, और चंदा, वर्ष के लिए भेज रहा हूँ। कृपया मुझे —वर्ग/सहयोगी— सदस्य बनावें।

आपका

तारीख हस्ताक्षर

पता

पूज्य गांधीजी ने संघ की स्थापना करते समय ता० १ अक्टूबर १९२५ के "यंग इंडिया" में उक्त विधान के विषय में नीचे लिखे अनुसार स्पष्टीकरण दिया था —

"इस विधान को गौर से देखने पर मालूम हो जायेगा कि यह संस्था फिलहाल तो लोकतंत्री नहीं है, इतना ही नहीं बल्कि ऐसा भी लगता कि यह एक आदमी की चीज है। इस प्रकार का विधान या तो उसे बनाने वाले का गर्व जाहिर करता है या बनाने वाले का इस काम में तथा अपने में गहरा विश्वास दिखलाता है। अपने मन को जिस हदतक मनुष्य की थाह मिल सकती है उस हदतक मैंने देखा है कि इस संघ को यह रूप देने में मेरा अभिमान कारण नहीं है। बल्कि असली वजह यह है कि व्यापारी संस्थायें कभी लोकतंत्री हो ही नहीं सकतीं, और यदि हाथ-कताई का काम व्यावसायिक और सरस बनाना हो तो उसको गैर राजनैतिक और शुद्ध आर्थिक काम के रूप में पूरी तरह विकसित करना चाहिये। अखिल भारत चर्खा संघ की स्थापना ऐसा विकास सिद्ध करने के लिये हुई है।"

"मैंने अपने सहकारी केवल उपयोगिता का खयाल रखकर चुने हैं। हरएक सदस्य को उसकी विशेष योग्यता के कारण मैंने चुना है। इस चुनाव को करते वक्त प्रांतों के प्रतिनिधित्व का तो कोई सवाल ही नहीं था। कई कार्यकर्ताओं को मैंने जानबूझकर इसलिये छोड़ दिया कि कोई गैर-मकसद पैदा न होने पावे। मैंने स्वराज्य-दल वालों को बिलकुल छोड़ दिया कि वे अपने समय का अधिकांश भाग को नहीं दे सकते। उस समय किसी ने यह प्रश्न भी उठाया था कि क्या खादी के राजनैतिक महत्व पर से मेरा विश्वास उठ गया है। मैंने जोरों से इसका उत्तर "नहीं" दिया था। खादी का आर्थिक महत्व ही उसका राजनैतिक महत्व है। भूखे लोगों में किसी प्रकार की राजनैतिक जागृति की अपेक्षा नहीं की जा सकती। जहाँ के लोगों को कपड़े की जरूरत ही न हो तथा जहाँ के लोग दूसरे मुल्कों के शोषण पर निर्भर करते हों वहाँ खादी का राजनैतिक महत्व कुछ नहीं हो सकता। हिंदुस्तान में खादी का राजनैतिक महत्व होने के कारण ही ये हैं कि इस देश को कपड़ा चाहिये, यह देश दूसरे देशों का शोषण नहीं करता है तथा यहाँ के करोड़ों देहाती वर्ष के चार महीनों में बिना काम बैठे रहते हैं। संघ के कार्य का यह रूप अत्यंत महत्व का है। इस काम में कट्टर राजनीतिज्ञ व कट्टर सत्याग्रही भी आर्थिक कार्य में भाग लेने के लिये शामिल हो सकते हैं। इसलिये खद्दर तथा चर्खे में विश्वास रखनेवाले प्रत्येक व्यक्ति को मैं संघ में शरीक होने के लिये दावत देता हूं, वह चाहे जिस जाति या धर्म का हो, और उसके राजनैतिक विचार कुछ भी हों।

संघ के विधान में जो पहिले दिया जा चुका है समय समय पर परिवर्तन होते गये। ता० ८-११-३७ को बंबई में संघ की रजिस्ट्री ई० सन् १८६० के कानून नंबर २१ के अनुसार कराई गई। उसका वर्तमान संशोधित विधान नीचे दिया गया है —

अखिल भारत चर्खा संघ

विधान तथा नियमावली

प्रस्तावना :—

यह संघ, पटना में अखिल भारत महासभा समिति (आल इण्डिया कांग्रेस कमेटी) के नीचे लिखे प्रस्ताव के मुताबिक २२ सितंबर १९२५ को स्थापित हुआ —

> "निश्चय हुआ कि अब कांग्रेस देश के हित में जो आवश्यक हो वह तमाम राजनैतिक काम हाथ में ले व उसे चलाये और इसके लिये कांग्रेस के तमाम कोष व संगठन का उपयोग करे; सिवाय उस कोष या धन-सम्पत्ति के जो विशेष कार्यों के लिये आवेष्टित हो और जो अखिल भारत खादी मण्डल और प्रान्तीय खादी मण्डलों का हो। इन खादी मण्डलों की जो कुछ धन-सम्पत्ति होगी वह उनकी तमाम मौजूदा आर्थिक जवाबदारियों के सहित अखिल भारत चर्खा संघ को दे दी जायेगी जिसे कि महात्मा गांधी ने कांग्रेस संगठन के अंतर्गत परन्तु स्वतन्त्र अस्तित्व प्रदान करके स्थापित किया है व जिसे अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिये इन तथा दूसरे कोषों को बरतने या काम में लाने का पूरा अधिकार प्राप्त है।"

इस संघ के विधान व नियमों में संघ की समय समय पर हुई बैठकों में परिवर्तन किये गये हैं, जैसे कि १८ से २० दिसम्बर १९२८, ४-५ अप्रैल १९२९, १७ से १९ सितंबर १९३७, ७ से १० नवम्बर १९४० और २० से २२ जून १९४१। सन् १८६० के कानून नं० २१, अर्थात् सोसायटीज रेजिस्ट्रेशन एक्ट के अनुसार इस संघ की ता० ८ नवम्बर १९२७ को रजिस्ट्री हुई है। चूंकि संघ के उद्देश्य व क्षेत्र के ठीक अर्थ के बारे में अब शंकायें पैदा हुई हैं और चूंकि संघ के प्रचलित विधान और नियमों की कई धाराओं में खामियां पाई गई हैं, यह निश्चय किया जाता है कि अब तक के पिछले विधान व नियमों तथा उनके संशोधनों की जगह अब नीचे लिखा विधान अमल में आवे —

अखिल भारत चर्खा संघ
का
विधान तथा नियमावली

१ नाम—इस संघ का नाम अखिल भारत चर्खा संघ होगा।

२. उद्देश्य — उद्देश्य ये होंगे :—

हाथ-कताई एवं हाथ-बुनाई व हाथ-कुटे [illegible] की उत्पत्ति व बिक्री के [illegible] कार्यकर्ताओं अन्य सब प्रवृत्तियों के द्वारा—

(अ) गरीबों को पूरा या आंशिक रोजगार देकर राहत पहुंचाना

(आ) उनको स्वावलम्बन सिद्ध व मजदूरी [illegible] करना।

(इ) खादी की [illegible] रक्षा करने के लिये उचित सुविधा करना [illegible] के दिनों में, [illegible] न होने पर [illegible]

(ई) कातनेवालों और खादी-व्यवसाय [illegible], कपड़े आदि को एकत्रित करना।

(उ) हाथ-कताई तथा खादी की उत्पत्ति व बिक्री तथा [illegible] दूसरी [illegible] प्रवृत्तियों का शिक्षण देने तथा प्रयोग करने के लिये [illegible] संस्थाओं को सहायता देना। और

(ऊ) पूर्वोक्त उद्देश्यों के अनुकूल दूसरे काम या प्रवृत्तियाँ करना।

नियम —

३ संघ के सदस्य दो तरह के होंगे—आजीवन सदस्य व साधारण-सदस्य।

४ आजीवन व साधारण सदस्यों का मिलकर 'ट्रस्टी-मंडल' होगा (जिसका उल्लेख आगे चलकर 'मंडल' करके किया है)। यही संघ का संचालक मंडल होगा।

५ (अ) आजीवन सदस्य नीचे लिखे तथा दूसरे ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें मंडल रिक्त स्थानों पर आजीवन सदस्यों के तौर पर समय समय पर चुने —

	नाम	पता
१	महात्मा गांधी (अध्यक्ष)	सेवाग्राम, वर्धा, सी पी
२	बाबू राजेन्द्रप्रसाद	सदाकत आश्रम, दीघाघाट, पटना
३	सरदार वल्लभभाई पटेल	६८ मरीन ड्राइव, बम्बई
४	राजकुमारी अमृत कुंवर	सेवाग्राम, वर्धा सी पी
५	श्री वि म जेराजाणी	३९६ कालबादेवी रोड बम्बई

	नाम	पता
६	,, गोपबंधु चौधरी	पारट बरी, जि० कटक
७	,, लक्ष्मीदास पुरुषोत्तम	साबरमती (अहमदाबाद)
८	,, कृष्णदास छ० गाँधी	सेवाग्राम, वर्धा, सी. पी
९	,, पुरुषोत्तम कानजी	२९६ कालबादेवी रोड,बंबई
१०	,, शंकरलाल घे० बंकर	मिर्जापुर रोड, अहमदाबाद
११	,, धीरेन्द्र मजूमदार	रणावाँ, पारट गुसाईंगंज, जि फैजाबाद, यू पी
१२	,, श्रीकृष्णदास जाजू (मंत्री)	बजाजवाड़ी, वर्धा, सी पी

(आ) सालाना सदस्यों की संख्या ३ से अधिक न होगा। वे आजीवन सदस्यों द्वारा सहयोगियों में से हर साल इस काम के लिये बुलाई गई सभा में उपस्थित सदस्यों के बहुमत से ले लिये जाया करेंगे।

सूचना —आजीवन सदस्यों की संख्या ७ से कम और १२ से अधिक कभी न होगी।

६ मण्डल के द्वारा समय समय पर निश्चित किये गये स्थान में मण्डल का केन्द्रीय कार्यालय रहेगा।

७ साल में मण्डल की कम से कम एक सभा जरूर होगी। परन्तु मंत्री जब जब आवश्यक समझे तब तब अधिक बार भी सभायें बुला सकेगा और मंत्री को मण्डल के कम से कम ६ सदस्य माँग करें तब मण्डल की सभा बुलानी होगी।

सदस्यों को परिपत्र भेजकर भी प्रस्ताव पास किया जा सकेगा। लेकिन इस तरह स्वीकृत प्रस्ताव मण्डल की आगामी सभा में पेश किया जायेगा।

८ मण्डल अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष, एक मंत्री व एक कोषाध्यक्ष चुनेगा, और ये अधिकारी तीन साल तक अपने पद पर रहेंगे। ये फिर से चुने जा सकेंगे। तथापि मंत्री व कोषाध्यक्ष का पद एक ही व्यक्ति को दिया जा सकेगा।

९ संघ की या उसकी शाखाओं की या उनके अधिकार की वर्तमान या भावी सारी धन-सम्पत्ति मण्डल की मालिकी की रहेगी। मण्डल उसे संघ की तरफ से या संघ के लिये अपने अधिकार में रखेगा और संघ के पूर्वोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में उसको लगायेगा, तथा

या सहयोगी या सदस्य संघ के धन या आमदनी से अपने दूसरे या सहयोगी या सदस्य होने के नाते कोई फायदा या आर्थिक लाभ नहीं उठा सकेगा।

१० मण्डल, संघ के सब काम, कारोबार और प्रवृत्तियाँ चलायगा और विशेष कर नीचे लिखे काम करेगा —

(अ) कर्ज लेना, चन्दा करना, स्थावर सम्पत्ति रखना, संघ की धन सम्पत्ति व्यापार पर या अन्य तरह से लगाना;

(आ) कर्ज, दान या सहायता के तौर पर खादी संस्थाओं को आर्थिक या दूसरी तरह की इमदाद देना;

(इ) हाथ कताई और हाथ-कर्घा व हाथ बुनी खादी की उत्पत्ति व बिक्री तथा तत्सम्बन्धी दूसरी प्रक्रियाएं सिखाने वाली या उनके प्रचार करने वाली संस्थाएं व विद्यालय खोलना या उन्हें सहायता देना,

(ई) खादी भंडार खोलना या उन्हें सहायता देना,

(उ) खादी कार्यकर्ताओं का संगठन करना,

(ऊ) जमीन जायदाद पट्टा, रहन, भार्ज, दान अथवा बिक्री से सम्पादन करना या अलग करना,

(ए) संघ की तरफ से मुकद्दमे अथवा अन्य कार्रवाई करना तथा संघ पर मुकद्दमे तथा अन्य कार्रवाई की जाय तो उनकी जवाबदेही करना,

(ऐ) किसी उपसमिति या व्यक्तियों को अपना कोई अधिकार देना,

(ओ) दावों-झगड़ों को पंचद्वारा निपटाना,

(औ) आमतौर पर संघ के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये मण्डल जो बातें करना मुनासिब या जरूरी समझे वे सब करना।

११ (अ) मृत्यु इस्तीफे या दूसरे किसी कारण से मण्डल में जगह खाली होने पर उसकी पूर्ति मण्डल के उपस्थित सदस्यों के ¾ बहुमत से की जायेगी।

(आ) आजीवन सदस्य की जगह नियुक्त व्यक्ति जीवन भर के लिये सदस्य बनेगा किन्तु सालाना सदस्य की जगह नियुक्त सदस्य उतनी ही मियाद तक के लिये सदस्य रहेगा जितनी कि पिछले सदस्य की बाकी रही हो।

(ई) जब तक कि आजीवन सदस्यों की संख्या ७ से कम न हो गई हो, मण्डल की कोई कार्रवाई मण्डल में एक या अधिक स्थान रिक्त होने की वजह से नाजायज नहीं समझी जायेगी।

मण्डल को इख्तियार होगा कि वह उस प्रयोजन से बुलाई गई सभा में अपने सदस्यों में संघ के किसी भी सदस्य को बिना कोई कारण बताये संघ से अलग कर दे।

मण्डल की सभायें, संघ के अध्यक्ष के या उनकी गैरहाजिरी में उस सभा में उपस्थित व उस मौके पर चुने गये किसी सदस्य के, सभापतित्व में होंगी।

मण्डल की सभाओं में तमाम निर्णय बहुमत से होंगे। किसी विषय पर समान मत पक्ष अपना अधिक मत दे सकेंगे।

मण्डल की सभा के लिये कोरम ५ सदस्यों का रहेगा।

(अ) मण्डल का काम होगा कि वह संघ का सारा हिसाब किताब नियमित रखवावे।

(आ) यह हिसाब मण्डल के द्वारा नियुक्त ऑडीटर से प्रतिवर्ष के अन्त में ऑडिट कराया जायेगा और ऐसे ऑडिट किये हुए हिसाब का विवरण प्रकाशित किया जायेगा।

७ मण्डल संघ के दो प्रकार के सहयोगी बनावेगा —

(अ) साधारण सहयोगी, व (आ) आजीवन सहयोगी।

८ (१) जो व्यक्ति (अ) १५ साल से ऊपर की उम्र का हो,

(आ) आदतन खादी पहनता व इस्तेमाल करता हो,

(इ) अपना कता व समान बट वाला मासिक १००० गज सूत या १२ रु मासिक चन्दा संघ को दे, वह संघ का साधारण सहयोगी बनाया जा सकेगा।

(२) हरएक साधारण [illegible] का कर्तव्य होगा कि वह हाथ-कताई औ[illegible] प्रचार करता [illegible]

१९ जिस व्यक्ति की उम्र १८ साल से ऊपर हो, जो आदतन खादी पहनता और इस्तेमाल करता हो और जो ५०० रु० एक मुश्त संघ को दे वह संघ का आजीवन सदस्य बनाया जा सकेगा।

२० साधारण सभासदों अपना चन्दा या सूत या रुपया, ६ मास तक न देने पर सदस्य न रहेगा।

२१ संघ पर या संघ की तरफ से जो कुछ मामले मुकदमे चलेंगे या चलाये जायेंगे उनकी कानूनी कार्रवाई संघ के तत्कालीन मंत्री या दूसरा कोई व्यक्ति जिसे संघ उसके लिये अधिकार दे संघ की तरफ से करेंगे।

२२ मण्डल को अधिकार होगा कि वह संघ की शाखायें खोले और हर एक शाखा के लिये एक शाखा मंत्री मुकर्रर करे जो कि मण्डल के नियन्त्रण में और मण्डल के आदेशानुसार काम करे।

२३ संघ के मंत्री की ऐसी इजाजत से—

(अ) संघ की शाखा का मंत्री किसी बैंक में या साहूकार के यहाँ शाखा का खाता खोल सकेगा और संघ के पूर्वोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिये उस खाते से रकम निकाल सकेगा।

(आ) शाखा मंत्री को अपनी शाखा की तरफ से चेकों पर सही करने तथा शाखा के नाम आये चेकों, बिलों, नोटों तथा चलन के अन्य हुण्डीपुर्जों पर हस्ताक्षर (endorse करने का अधिकार होगा। किन्तु किसी शाखा-मंत्री को संघ की तरफ से संघ के अथवा उसकी किसी शाखा के लिये कर्ज लेने का कोई अधिकार न होगा

२४ मण्डल को अधिकार होगा कि वह संघ के विधान व नियमों में इस काम के लिये विशेष सभा बुलाकर संघ के ¾ सदस्यों के बहुमत से संशोधन व रद्दोबदल कर सके बशर्ते कि संशोधन या रद्दोबदल संघ के ऊपर लिखे उद्देश्यों के आन्तरिक हेतु के विरुद्ध न हो।

२५ संघ या मण्डल के समुचित कार्य संचालन के लिये समय समय पर नियम उपनियम बनाने का अधिकार मण्डल को होगा।

संघ की निधि

अखिल भारत खादी मण्डल तथा उसकी प्रान्तीय शाखाओं से खादी, रुई, सूत आदि के स्टॉक, जायदाद तथा दूसरा से वसूल होनेवाली रकमों के रूप में संघ को प्राप्त हुई निधि रु० ११,९३,३०० १ ० की थी। सन १९२६ से १९२९ तक बीच बीच में खादी कार्य को सहायता देने के लिये पूज्य गाँधीजी ने दौरा किया और देशबन्धुदास के स्मारक के रूप में कुल रु० १५,११,६१३ की रकम एकत्रित होकर

संघ को प्राप्त हुई। इसके बाद भी संघ को खादी काम के लिये दान मिलता रहा। प्रारंभ के करीब दस वर्षों में संघ का काम जमाने के लिये कुल मिलाकर करीब १२ लाख रुपये की हानि उठानी पड़ी। अब सन् १९४२ में संघ के पास करीब २८ लाख रुपये का कोष है जो सब का सब काम में लगा है।

संघ का संगठन

संघ खादी उत्पत्ति और बिक्री का काम अपनी शाखाओं द्वारा कराता है तथा उस काम के लिये खानगी व्यक्तियों को और संस्थाओं को प्रमाण-पत्र भी देता है। प्रमाण-पत्र के नियम अन्यत्र छपे हैं।

केन्द्रीय कार्यालय —संघ की स्थापना के समय उसका केन्द्रीय कार्यालय अहमदाबाद में था। अखिल भारत खादी मण्डल की स्थापना के समय से ही श्री शंकरलाल बैंकर मंडल के तथा संघ के सन् १९४० ई० तक मंत्री रहे। लगातार अधिक परिश्रम करके खादी कार्य को उन्होंने जमाया और बढ़ाया। अन्त में स्वास्थ्य अत्यंत बिगड़ जाने पर जून १९४० में उन्हें कार्य से निवृत्त होना पड़ा, तब से संघ का केन्द्रीय कार्यालय, बजाजवाड़ी, वर्धा, में है।

हिसाब समिति —हिसाब सुव्यवस्थित रखने के लिये सन् १९४१ के दिसम्बर महीने में हिसाब समिति बनाई गई। वह अपने मुख्य हिसाबनीस तथा अन्य ऑडिटरों के द्वारा शाखाओं के हिसाब का टेस्ट-ऑडिट करावेगी। प्रथमत संपूर्ण हिसाब जाँचने की व्यवस्था शाखा को ही अपने कार्यकर्ताओं द्वारा करनी होगी। समिति के ऑडिटरों को मासिक विवरण के अलावा प्रमाणित विवरण, तथा समय २ पर अन्य विवरण भी भेजने होंगे।

प्रांतीय शाखाओं को हिसाब की अनेक बहियों, रजिस्टरों और फार्मों का उपयोग करना पड़ता है। उनके नमूने भाग ३ में दिये गये हैं। विशेष परिस्थिति के कारण इन नमूनों में कुछ कमीबेशी करनी पड़े तो शाखाएँ हिसाब समिति की सलाह से कर सकेंगी। परन्तु सामान्यत इन्हीं नमूनों के अनुसार बहियाँ तथा रजिस्टर रखने चाहियें।

निरीक्षण —केन्द्रीय कार्यालय शाखाओं के कार्य का निरीक्षण अपने निरीक्षकों द्वारा करावेगा। इन्हें निम्नलिखित विवरण केन्द्रीय कार्यालय को भेजने होंगे—(१) प्रत्येक कार्य निरीक्षण का विवरण (२) अपने कार्य निरीक्षण का वार्षिक विवरण। शाखाओं के मंत्रियों को भी वार्षिक विवरण भेजना होगा। विशेष विषयों की सूची भाग ३ में दी गई है।

बजट समिति —नया वर्ष शुरू होने के पहिले ही केन्द्रीय कार्यालय तथा शाखाओं के बजट संघ की सभा में उपस्थित किये जाते हैं। उनके मंजूर होने पर उनके अनुसार सारा काम किया जाता है। संघ ने एक बजट समिति भी बनाई है। संघ उसे जहाँ तक अधिकार देता है उस मर्यादा तक बजट-समिति बजट आदि के विषयों में निर्णय करती है। फिलहाल बजट समिति को नीचे लिखे अधिकार दिये गये हैं —

१ हर प्रकार के केन्द्रीय कार्यालय के और प्रांतीय शाखाओं के बजट मंजूर करना।

२ नये मकानात बांधने के लिये मंजूरी देना।

३ स्थगित उधारी बट्टे खाते डालने की मंजूरी देना।

बजट समिति अब स्थायी स्वरूप की बन गई है। कभी कभी शाखाओं की मांग का निर्णय तुरंत ही करना पड़ता है, जिसमें सब सदस्यों को इकट्ठा करके सभा बुलाने के लिए पूरा समय भी नहीं मिलता है।

इन सब बातों का विचार करके निश्चय हुआ कि समिति की सभा वर्षभर में कम से कम चार बार इस तरह बुलाई जाय कि उसमें सब सदस्यों को सभा के समय पहुंचने का मौका मिल सके। परन्तु मंत्री की राय में जिन प्रश्नों का निर्णय तुरंत करना आवश्यक हो उनका निर्णय केवल वर्धा में रहने वाले सदस्यों की सभा बुलाकर कर लिया जाया करे।

विचार हुआ कि बजट समिति की सभा नियमित रूप से जून और दिसम्बर के महीनों में जब कि संघ के ट्रस्टी मंडल की सभा होती है तब तथा मार्च एवं सितम्बर महीने के मध्य में की जाय। शाखाओं को सूचना दी जाती है कि उन्हें बजट-समिति के विचारार्थ जो विषय भेजने हों वे इन समयों का ख्याल करके ही भेजा करें। अन्य समय में आये हुए प्रस्तावों का निर्णय जल्दी करना मुश्किल होगा। अत्यन्त जरूरी प्रश्नों का निर्णय वर्धा में रहने वाले सदस्य कर लेंगे, तथापि यथासंभव यह बात टालनी चाहिए।

शिक्षा समिति —खादी विद्या की पढ़ाई ठीक सिलसिले से करने के लिये निश्चित पाठ्यक्रम के विद्यालय चलाना, और पढ़ने वाले विद्यार्थियों की परीक्षा लेकर उनको संघ द्वारा प्रमाण-पत्र देना आदि सब काम व्यवस्थित करने के लिये एक शिक्षा-समिति अक्तूबर १९४१ में बनाई गई है और उसको निम्न अधिकार दिये गये हैं —

१ – खादि शिक्षा का अभ्यास क्रम मुकर्रर करना

२ खादी विद्यालयों के नियम बनाना।

३ खादी विद्यालयों को प्रमाण-पत्र देना।

४ खादी विद्यालयों की देखभाल करना।

५ परीक्षाओं के उत्तीर्णमान निश्चित करना।

६ परीक्षाओं के नियम बनाना।

७ परीक्षक नियुक्त करना।

८ परीक्षाएं लेना।

९ उत्तीर्ण विद्यार्थियो को प्रमाण पत्र देना।

शिक्षा-समिति द्वारा सचालित भिन्न २ परीक्षाओं के प्रकार, परीक्षा की पद्धति, अभ्यासक्रम* विद्यालय मान्य कराने के नियम, छात्रों को दाखिल करने के नियम और शर्तें, छात्रालयों का प्रबंध आदि विषयों की जानकारी 'खादी जगत्' के फर्वरी १९४२ के 'खादी शिक्षांक' नामक अंक में दी गई है। विद्यालयों के सचालक उसे बारीकी से पढकर उसमें लिखे अनुसार प्रबंध करें।

केंद्रीय कार्यालय की देखभाल में शिक्षा-समिति ने अपना मुख्य खादी विद्यालय १ अगस्त १९४१ से सेवाग्राम में जारी किया है। जिसका अभ्यास क्रम तथा नियम आदि 'खादी जगत्' के शिक्षा अंक में दिये गये हैं।

प्रांतीय शाखायें —चर्खा सघ के कुल काम का नियंत्रण सघ के 'ट्रस्टी मडल' द्वारा होता है। प्रांतीय शाखायें प्राय कांग्रेस के द्वारा सचलित प्रांतों के अनुसार स्थापित हुई हैं, परन्तु किसी किसी प्रांत में स्वतन्त्र शाखा स्थापित करने की अनुकूलता न होने के कारण एक ही शाखा का कार्य क्षेत्र २ या ३ प्रांतों में भी नियत किया गया है। सघ की स्थापना के समय सघ की १२ प्रांतीय शाखायें थीं। जैसे जैसे कार्य बढता गया, गुजरात, काश्मीर, केरल, तथा सिंध में नई शाखायें स्थापित हुईं। आसाम की अलग शाखा सन् १९४१ ई० में ही स्थापित हुई है। सन् १९४१ के अन्त में सघ की निम्नलिखित प्रांतीय शाखायें थीं।

* नोट —इसके बाद भी पाठ्यक्रम आदि में कुछ परिवर्तन हुये हैं। देखिये 'खादी जगत्' का जुलाई १९४२ का अंक।

शाखा का नाम	स्थापना का वर्ष	प्रांतीय कार्यालय	कार्यक्षेत्र
१ आन्ध्र	१९२५	मछलीपट्टम	आंध्र
२ आसाम	१९४१	सिबसागर	आसाम
३ उत्कल	१९२५	बारा-कटक	उत्कल
४ कर्नाटक	१९२५	ओल्ड हुबली (धारवाड़)	कर्नाटक
५ काश्मीर	१९२५	श्रीनगर (काश्मीर)	काश्मीर
६ केरल	१९२५	एरट्टानीपालैम (मालाबार)	केरल
७ गुजरात	१९४०	बारडोली (सूरत)	गुजरात
८ तामिलनाड	१९२५	तिरुपुर (कोयम्बटूर)	तामिलनाड
९ पंजाब	१९२५	आदमपुर दोआबा (जालन्धर)	पंजाब + पश्चिमोत्तर सीमांत प्रदेश
१० बंगाल	१९२५	कोमिल्ला (तिपेरा)	बंगाल
११ बंबई	१९२१	३९६, कालबादेवी रोड, बंबई	बंबई
१२ ब्रम्हदेश	१९२५	बन्द है	ब्रम्हदेश
१३ बिहार	१९२५	मधुबनी (दरभंगा)	बिहार
१४ मध्यप्रांत-महाराष्ट्र	१९२५	मूल (चांदा)	मध्यप्रांत, महाराष्ट्र, बरार व निजाम
१५ राजस्थान	१९२५	गोविन्दगढ़-मलिकपुर (जयपुर)	राजस्थान व मध्यभारत
१६ संयुक्तप्रांत	१९२५	मेरठ	संयुक्तप्रांत व देहली
१७ सिन्धु	१९२५	टण्डो आदम (हैदराबाद सिंध)	सिन्धु

केन्द्रीय दफ्तर के कार्य —संघ का केन्द्रीय दफ्तर ट्रस्टी मंडल के आदेशों के अनुसार शाखाओं के कार्य का नियन्त्रण करता है। प्रतिवर्ष शाखाओं के वार्षिक कार्य तथा आय-व्यय की योजनाएं (बजट) मंगवाकर उनका अध्ययन करके उनमें पत्र व्यवहार द्वारा आवश्यक सुधार करवाकर उन्हें संघ की बजट समिति के सामने मंजूरी के लिये रखता है और मंजूर होने पर शाखाओं को सूचना देता है और शाखाएँ अपना कारोबार मंजूर हुई योजनाओं के अनुसार चलाती हैं।

इसके उपरान्त केन्द्रीय कार्यालय निरीक्षकों के द्वारा समय समय पर शाखाओं के कार्य तथा हिसाब किताब का निरीक्षण कराता है और वास्तविक कार्य तथा आय व्यय की बजट के अंकों से तुलना करके शाखाओं का ध्यान घटती बढ़ती की ओर आकर्षित करता है। मंजूर शुदा बजट के उपरान्त वर्ष के दौरान में नये केन्द्र चलाने या नये खर्च करने के लिये शाखाओं को नये सिरे से प्रधान कार्यालय की स्वीकृति ले लेनी होती है। अत्यंत आवश्यकता के समय संघ की मंजूरी की आशा में संघ के मंत्री को तात्कालिक मंजूरी देने का अधिकार रहता है।

बजटों तथा कार्य सम्बन्धी अन्य योजनाओं के उपरान्त खादी के भाव घटाने-बढ़ाने, मजदूरी की दरों में तब्दीली करने, जमीन खरीदने या रहन, भाड़े पट्टे पर लेने, मकानात बनाने-बेचने, डूबी हुई उधारी की रकमों को बट्टे खाते लिखने आदि अनेक असाधारण विषयों में शाखाओं को संघ की इजाजत से ही काम करना होता है। प्रांतीय शाखाओं के लिये विस्तृत सूचनाएँ आगे दी गई है।

संघ के कोष का एकत्रित हिसाब प्रधान कार्यालय में रखा जाता है। संघ के नाम का सारा व्यवहार केन्द्रीय दफ्तर के मार्फत होता है। संघ की सभाओं का आयोजन संघ का मंत्री किया करता है।

प्रान्तीय शाखाओं का संगठन —परिस्थिति और आवश्यकता के अनुसार प्रांतीय शाखाओं के संगठन के निम्नलिखित अंग होते हैं —

(१) प्रतिनिधि (एजेण्ट)
(२) शाखा मंत्री, सहायक मंत्री व प्रान्तीय कार्यालय
(३) उत्पत्ति केन्द्र
(४) बिक्री भण्डार
(५) केन्द्रीय भण्डार
(६) रंगशाला
(७) सरंजाम कार्यालय
(८) खादी विद्यालय
(९) वस्त्रस्वावलम्बन व प्रचार

१ **प्रतिनिधि** —प्रतिनिधियों की नियुक्ति संघ की सभा द्वारा की जाती है। सभी शाखाओं में प्रतिनिधि नहीं है। जहां वे है वहां शाखा के घटने-बढ़ने काम, और संचालन की अन्तिम जवाबदेही उन पर होती है। प्रतिनिधि का स्थान कार्यकर्त्ता संस्थाओं के अध्यक्ष की तरह का है। काम मंत्रियों द्वारा किया जाता है। जिन प्रतिनिधि नहीं है वहाँ प्रतिनिधि को शाखामंत्री पर ही समझी जाती है।

२ **शाखा-मंत्री, सहायक मंत्री व प्रान्तीय कार्यालय** —शाखा मंत्री की नियुक्ति संघ की सभा द्वारा होती है। प्रतिनिधि द्वारा निर्धारित की हुई नीति के अनुसार रोजमर्रा के कार्य-संचालन का भार शाखा मंत्री पर होता है। शाखा के कार्यकर्ताओं की नियुक्ति, बदली व बर्खास्तगी, फण्ड का भुगतान करना, बजट बनाना, कार्यकर्ताओं के वेतन में वृद्धि का प्रस्ताव तैयार करना, प्रचारादि की योजना बनाने, नई जमीन खरीदने या मकान बनाने, बैंक में खाते खोलना और व्यवहार करना आदि काम शाखा-मंत्री प्रतिनिधि की सम्मति से (यदि हो तो) संघ के अन्तिम नियंत्रण में करता है।

शाखा के रोजमर्रा के कार्य में शाखा मंत्री निर्णय किया करता है। प्रान्तीय शाखा के खिलाफ किसी को शिकायत करनी हो तो वह सीधी संघ के दफ्तरी मण्डल में की जा सकती है।

कार्य के विस्तार के अनुसार शाखा मंत्री की सहायता के लिये प्रान्तीय कार्यालय में निम्नलिखित पदों पर नियुक्तियां की जाती हैं —

(क) सहायक मंत्री (ख) कार्यालय व्यवस्थापक

(ग) उत्पत्ति संचालक (घ) बिक्री संचालक

(क) सहायक मंत्री —कार्य की अधिकता के कारण यदि सहायक मंत्री की नियुक्ति आवश्यक समझी जाय तो उसकी नियुक्ति संघ के मंत्री द्वारा की जाती है। सहायक मंत्री, शाखा मंत्री की उपस्थिति में उनके कार्य में सहायता करता है, तथा उनकी अनुपस्थिति में शाखा मंत्री का काम करता है।

(ख) कार्यालय व्यवस्थापक (ग) उत्पत्ति संचालक व (घ) बिक्री संचालक — शाखा प्रतिनिधि की सलाह से (यदि हो तो) शाखा मंत्री द्वारा प्रान्तीय कार्यालय के कार्य संचालन और व्यवस्था के लिये एक व्यवस्थापक की तथा उत्पत्ति बिक्री कार्य के संगठन के लिये क्रमशः एक उत्पत्ति संचालक और एक बिक्री संचालक की नियुक्ति की जाती है। इन अधिकारियों की सहायता से मंत्री नीचे लिखे काम करा लेते हैं —

(क) कार्यालय व्यवस्थापक —

१ बिल व वाउचर आदि स्वीकृत करना

२ कार्यकर्ताओं की छुट्टी मंजूर करना

३ हिसाब पर देखरेख करना इत्यादि

(ख) उत्पत्ति सचालक :—

१ खादी उत्पत्ति का आतिवार परिमाण नियत करना तथा उसके अनुसार उत्पत्ति कराना

२ जातियों में सुधार करना व नई जातियाँ निकालना

३ सूत खरीद या कताई, बुनाई आदि प्रक्रियाओं की मजदूरी नियत दरों के अनुसार होती है या नहीं यह देखते रहना,

४ नये उत्पत्ति केन्द्र खोलने और उत्पत्ति बढ़ाने में शाखा मत्री की सहायता करना

(ग) बिक्री सचालक —

१ बिक्री भण्डारों तथा कार्यालयों की रचना, स्थान, व्यवस्था, बिक्री आदि देखते रहने के लिये उनका निरीक्षण करते रहना,

२ बिक्री बढ़ाने की गरज से नये भण्डार खोलने, एजेण्ट बनाने, गाँधी जयन्ती, राष्ट्रीय सप्ताह और अन्य प्रदर्शिनियों के समय बिक्री का सगठन करने, फेरी की व्यवस्था करने आदि कामों में शाखा मत्री को सहायता देना,

३ भण्डारों की आवश्यकता का अध्ययन करके, खादी की विविध जातियों की यथा समय शाखा में उत्पत्ति कराने की सूचना देना या उन्हें केन्द्र भण्डार द्वारा पर प्रान्तों से मगाना।

इनके अतिरिक्त प्रांतीय कार्यालय में हिसाबनवीस, व कार्य के विस्तार के अनुसार अन्य लखक र हिसाब निरीक्षक होंगे। हिसाबी काम का पूरा विवरण तथा हिसाब निरीक्षकों के कार्य के विषय में ग भाग तीन में लिखा गया है।

भाषा

चर्खा सघ की नीति यह है कि अपने सब कारोबार में यथासभव राष्ट्रभाषा हिन्दुस्तानी उपयोग किया जाय। प्रांतीय शाखा का काम प्रांतीय लिपि में हो। अग्रेजी का उपयोग यथासभव से कम हो।

प्रांतीय शाखाओं को सूचनाएं

बजट (आयव्यय अनुमान पत्रक) —प्रत्येक शाखा को चाहिये कि प्रति वर्ष अप्रेल मास के अंत तक अपनी शाखा के आगामी वर्ष के कार्य और आय व्यय की योजना (बजट) नियत फॉर्मों पर (देखिए भाग तीन) केन्द्रीय कार्यालय को भेज दें। संघ के कार्य व हिसाब का वर्ष १ जुलाई से ३० जून तक है। फार्मों के उपरांत बजट में निम्नलिखित हकीकत और होनी चाहिये —

१ प्रत्येक उत्पत्ति केन्द्र, बिक्री भंडार, केन्द्र भंडार, रंगशाला, प्रांतीय कार्यालय, सरंजाम कार्यालय, वस्त्रस्वावलंबन प्रचार, खादी विद्यालय आदि के लिये पूंजी, कार्य, आय तथा व्यय के चालू वर्ष के नौ महीनों के वास्तविक अंक और आगामी वर्ष के प्रस्तावित अंक (देखिये फॉर्म—परिशिष्ट)।

२ 'कामगार सेवा कोष' में से रकम खर्च करके कामगारों को तालीम देने की, उनको तालीम देने वाले कार्यकर्ता तैयार करने की तथा इस कोष में से करने योग्य अन्य कार्यों की योजनायें मुख्य बजट के साथ ही आनी चाहियें। कामगारों को तथा उनको तालीम देने वाले कार्यकर्ताओं को सिखाने की योजना में चालू वर्ष के नौ मास के अंत में तालीम प्राप्त याने संघ द्वारा नियत किसी परीक्षा की सनद पाये हुये कार्यकर्ताओं की, तथा सिखलाई हुई कत्तिनों की वास्तविक संख्या और आगामी वर्ष के लिये आनुमानिक अंक भी दिये जाने चाहियें।

३ वस्त्रस्वावलंबन सम्बन्धी कोई कार्य करने की योजना रखी गई हो तो उसकी चालू वर्ष के नौ मास के अन्त में वास्तविक संख्या तथा आगामी वर्ष के लिये आनुमानिक अंक भी दिये जाने चाहियें।

बजट बनाते समय शाखा यह ध्यान में रखे कि नये सूत केन्द्र ऐसे ही स्थानों में खोलने का प्रस्ताव किया जाय जहां कि कत्तिनों को काम न मिलने कारण भूखा या अधभूखा रहना पड़ता हो और उन्हें कताई की मजदूरी संघ द्वारा नियत दर पर ही दी जाय, जहां रुई मिलने की सुविधा हो, माल रवाना करने के लिये पास में कोई रेल्वे स्टेशन या अन्य सुविधा हो, तथा जहां पास में ही बुनाई व कपड़े धोने का प्रबंध हो सके।

जहां सूत कातने की कुछ परंपरा कायम हो वहां काम बहुत जल्दी बढ़ सकता है। यदि सबको नये सिरे से ही कातना सिखाना हो तो मान लेना चाहिये कि कार्य में बहुत समय लगेगा। कठिनाई होगी, और हानि भी काफी होगी। यह नहीं समझना चाहिये कि ऐसे स्थान में केन्द्र खोलने ही नहीं है। मगर अपनी मर्यादा भली प्रकार समझकर हमें चलना चाहिये। नये उत्पत्ति केन्द्रों में अच्छे कुशल कार्यकर्ता रखने चाहिये। प्रारम्भ से ही काम व्यवस्थित किया जायेगा तो आगे बहुत सुभीता रहेगा। यदि गलत पद्धति से काम प्रारम्भ किया गया तो बाद में कामगारों के रवैये में परिवर्तन करना बड़ा कठिन होगा।

आमतौर पर शाखायें ऐसे ही भण्डारों को चलाने या खोलने का प्रस्ताव करें जो यथा-समय स्वावलंबी हों तथा शाखायें अपने बजट इस प्रकार बनावें जिससे उनके प्रांतीय कार्यालय का व्यय केन्द्रों भण्डारों के मुनाफ़े में से निकल आवे। आम तौर पर भण्डारों के सम्बन्ध में कार्य, व्यय आदि का अनुमान लगाते समय वार्षिक बिक्री की मान मर्यादा रु० १२०००) माननी चाहिये याने कम से कम उतनी बिक्री के भण्डार ही चलाने चाहियें। यह भी खयाल रखना चाहिये कि हरएक जिले में एक भण्डार या एजेंसी जरूर हो जाय। ध्यान में रहे कि नये उत्पत्ति केन्द्रों के स्वावलंबी बनने में २–३ वर्ष लग सकते हैं। उत्पत्ति केन्द्रों में भी काम की मान मर्यादा रु० १५०००) वार्षिक की ही मानी जाय।

बजट के साथ साथ कार्यकर्ताओं की सम्पूर्ण सूची मय उनके कार्य और वर्तमान तथा प्रस्तावित वेतन के आनी चाहिये।

शाखायें अपना कार्य मंजूर शुदा बजट के अनुसार ही चलावें। यदि वर्ष के दौरान में पूँजी, कार्य, या व्यय में रद्दोबदल की जरूरत खड़ी हो जाय तो पूरक बजट या संशोधित बजट भेजना चाहिये। जिसके साथ शाखा की प्राप्य वर्तमान पूँजी तथा नक्दी की अधिक से अधिक ताज़ी स्थिति की तालिका जरूर दी जाय। अधिक पूँजी मांगते समय तो वर्तमान आर्थिक स्थिति के अंक जरूर ही दिये जाया करें।

माल की व मजदूरी की दरें —खादी के भाव घटाने बढ़ाने हों या किसी भी प्रक्रिया की मजदूरी की दरों में घटी बढ़ी करनी हो तो इसके प्रस्ताव केन्द्रीय कार्यालय को भेज कर मंजूरी प्राप्त होने पर ही वैसा किया जाय।

कर्ज लेना —शाखाओं को किसी भी रूप में कर्ज लेने का अधिकार नहीं है। कहीं कहीं उत्पत्ति केन्द्र वाले या बिक्री भण्डार वाले अपने परिचितों से कर्ज ले लेते हैं, कहीं अमानत के रूप में, कहीं उधार माल के रूप में। परन्तु किसी भी रूप में कर्ज नहीं लेना चाहिये।

मकान बनवाना —शाखाओं को केन्द्रीय कार्यालय की स्वीकृति के बिना जमीन या मकान खरीदने, या रहन, चार्ज पट्टे पर लेने, नया मकान बनवाने, डूबे हुए उधार की रकमें हानि खाते लिखने का अधिकार नहीं है। इन सब के लिये पहिले प्रस्ताव भेजकर स्वीकृति प्राप्त कर लेनी चाहिये।

हमारा काम काज अब भी इस दशा में है कि हमें स्थान का परिवर्तन कहाँ और कब करना पड़ेगा इसका अनुमान करना कठिन है। इसलिये संघ को खुद की मालिकी के मकानात पूरे विचार के बाद ही बनाने चाहियें। अब तक ऐसा अनुभव आया है कि मकानात बन चुकने

गया कि वह स्थान हमारे काम के लिये उपयुक्त नहीं था। परन्तु चूंकि मकानात बन गये थे इसलिये वहीं काम चालू रखना पड़ा जिसके कारण बरसों तक हानि सहन करनी पड़ी। ऐसी दशा हुई कि काम का स्थान बदलते हैं तो मकानात व्यर्थ जाते हैं और वहां काम चालू रखते हैं तो अनेक दिक्कतें सहन करनी पड़ती हैं और हानि भी होती है। इसलिये यथासम्भव मकानात किराए पर लेकर काम चलाना चाहिये। अत्यन्त आवश्यक हो तभी सघ के खुद के मकानात बनाने चाहियें। वे भी बहुत सादे और कम खर्च के केवल माल की हिफाजत की दृष्टि से जितना मकान पक्का बनाना जरूरी हो उतना ही पक्का बनाना चाहिये। जिस जमीन पर मकान बनाना है वह यथासम्भव हमारी ही सम्पूर्ण मालिकी की होनी चाहिये।

स्थावर जायदाद के कागज-पत्र निम्नलिखित नाम से होने चाहियें —

अखिल भारत चर्खा सघ सन् १८६० ई० के कानून २१ के अनुसार रजिस्टर कराई हुई संस्था तर्फे सचिव मन्त्री श्रीकृष्णदास जाजू, केन्द्रीय कार्यालय, अखिल भारत चर्खा सघ, वर्धा (मध्यप्रांत)।

कार्यकर्ताओं का वेतन —कार्यकर्ताओं के वेतन के बारे में सघ ने कोई निश्चित नियम नहीं बनाये हैं। शाखायें अपनी अपनी परिस्थिति के अनुसार वेतन नियत करती हैं तथा उनमें वृद्धि करती हैं। इतना परिमाण कुछ तो प्रांत की आर्थिक दशा पर भी अवलम्बित रहता है। वेतन के निर्णय करने का अधिकार सघ के नियन्त्रण में शाखा के मन्त्री को है। मन्त्री को चाहिये कि यद्यपि आखिरी राय उसकी चलेगी तथापि अपने मुख्य कार्यकर्ताओं की सलाह और विशेषतया कार्यकर्ता ने जिसके मातहत काम किया है उसकी सलाह तो अवश्य लेले। वेतन में परिवर्तन करने का प्रश्न सालभर में बार बार नहीं उठते रहना चाहिये। सालभर में एकबार सब कार्यकर्ताओं के बारे में सम्पूर्ण विचार करके वेतन निश्चित कर लेना चाहिये। यह भी न होना चाहिये कि कार्यकर्ता की ओर से मांग होनेपर ही उसका वेतन बढ़ाया जावे। मुख्य अधिकारी का कर्तव्य है कि सब के काम काज के बारे में जानकारी प्राप्त करके, स्वय भी जितना सपर्क कार्यकर्ता से बढ़ा सके उतना बढ़ाकर उसकी योग्यता के ख्याल से और शाखा के वेतन के परिमाण के ख्याल से यदि बढ़ाना जरूरी लगे तो कार्यकर्ताओं का वेतन स्वय ही बढ़ा देवे। कहीं कहीं ऐसी भी सूचनायें की जाती हैं कि कार्यकर्ताओं के वेतन कुछ टाइम-स्केल के अनुसार रहें। इसके बारे में विचार करके सघ ने निर्णय किया है कि वह पद्धति हमारे अनुकूल नहीं है। कुछ शाखाओं ने प्रयोग भी करके देखा, परन्तु अन्त में वह पद्धति अनुपयुक्त पाई गई। सघ के वेतनिक कार्यकर्ताओं को अपना पूरा समय सघ के काम में ही देना चाहिये, अतः वे कोई दूसरा आमदनी का काम नहीं कर सकते।

शाखा प्रांतीय कार्यालय में एक कार्यकर्ता रजिस्टर रखेगी, जिसमें शाखा के प्रत्येक कार्यकर्ता का
म, योग्यता, दाखिल होने की तारीख, प्रारम्भिक वेतन, तारीखों के साथ वेतन वृद्धि, समय २ पर
पा गया कार्य, तथा सेवा संबंधी विशेष बातें लिखी जाया करें।

नये कार्यकर्ताओं को रखने के पहिले नियत फॉर्म पर उनके आवेदन पत्र प्राप्त करने चाहिये, और उनकी उम्मेदवारी का काल पूरा होनेपर जब वे स्थायी तौर पर लिये जावें, तब उन्हें शाखा की ओर से नियुक्ति पत्र दिया जाना चाहिये। यदि किसी को रु ३०) से अधिक वेतन पर रखना हो, या किसी का वेतन रु ३०) से अधिक बढ़ाना हो तो उसके लिये केन्द्रीय कार्यालय से पहिले इजाजत ले लेनी चाहिये।

मगन संग्रहालय वर्धा —शाखाएँ प्रत्येक वर्ष के अन्त में अपने खर्च से मगन संग्रहालय, वर्धा में रखे जाने के लिये गत वर्ष के दौरान में उत्पन्न खादी की नई जाता व डिजाइनों के नमूने तथा रुई की सुधरी हुई जाति के नमूने, बीज आदि, और सुधरे हुये औजारों के नमूने भेजा करें।

कार्य-वृद्धि की विशेष सूचनाएँ

खादी कार्य के बढ़ने तथा सुधरने के लिए अधिक पूंजी, अधिक तादाद में योग्य कार्यकर्ता, अच्छी पूनियाँ तथा बुनाई की अधिक सुविधाएँ आवश्यक होने के कारण निम्न प्रबन्ध करना सोचा गया —

१ अधिक पूंजी की दृष्टि से निम्न लिखित उपाय सोचे गये —

(अ) चन्दा करना —व्यक्तिगत अपील द्वारा तथा चर्खा जयन्ती के अवसर पर रकम या सूत के रूप में।

(आ) कर्ज लेना —चर्खा संघ कर्ज लेना उपयुक्त नहीं समझता। कर्ज ली हुई रकम से बढ़ाये हुए काम को घटाये बिना हम कर्ज अदा नहीं कर सकते। इसप्रकार यदि हम काम घटाना पड़े तो खादी उत्पत्ति घट जाती है, प्रगति रुक जाती है, सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उसे फिर से बढ़ाने में कई दिक्कतें आ खड़ी होती हैं। कामगारों में गलतफहमी फैलती है तथा हमारी सारी व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो जाती है। इन सब दिक्कतों को मद्दे नजर रखकर

कर्ज न लेने की सामान्य नीति कायम रखते हुए भी इस बार अपवाद रूप में सहूलियत दी है कि यदि बिना ब्याज के और लम्बी मुद्दत पर कर्ज मिले तो वह कुछ परिमाण में लिया जावे। मुद्दत की व्याख्या संघ ने निर्धारित नहीं की है। पर हमारे ख्याल से ऐसी शर्त ठीक होगी कि हर साल या तो कर्ज की ५ प्रतिशत रकम लौटाकर सारा कर्ज २० साल में या पहले ५ वर्षों में कुछ भी न देकर बाद में हर साल १० प्रतिशत के हिसाब से; अर्थात् १५ साल में पूरी रकम बिना ब्याज अदा की जावे। छोटी छोटी रकमें लेने के झंझट में पड़ना उचित न होगा। कोई एक रकम रुपये १०,००० से कम न ली जाय तो ठीक हो। यदि कोई खादी प्रेमी सज्जन इस प्रकार संघ को रकम की सहायता करना चाहें तो शाखाएँ केंद्रीय कार्यालय को इसकी सूचना दें। शाखाओं को इस प्रकार के सीधे कर्ज लेने का अधिकार नहीं है।

(ए) रुई के समह को गिरवी रखकर बैंकों या साहूकारों से केन्द्रीय कार्यालय की अनुमति से कर्ज लेना।

(ई) कामगारों से पूंजी के लिए थोड़ी थोड़ी रकम जमा करना (इस विषय में विस्तार से अन्यत्र लिखा गया है)।

२ अधिक तादाद में योग्य कार्यकर्ता प्राप्त करने के हेतु से खादी विद्यालय तथा शिविर चलाकर उनके मार्फत योग्य कार्यकर्ता अधिक संख्या में तैयार करना सोचा गया।

३ रुई यथा सम्भव ऐसी कपास की ली जाय जो 'दूसरी धुनाई' की हो तथा जिसमें चूना करकट एवं सड़ा अंश न हो। जो रुई सूरत या नवसारी से मगाई जाती है उसका प्रबन्ध श्री लल्लूभाई दाह द्वारा तथा जो वर्धा से मगाई जाती है उसका प्रबन्ध केन्द्रीय दफ्तर से हो।

४ धुनाई में तुनाई के प्रयोग की ओर विशेष ध्यान दिया जाय। एक आध लोग धुनाई-यंत्र बनाने के लिए प्रयत्न किया जाय। यह काम श्री लक्ष्मीदासभाई पुरुषोत्तम आसर को सौंपा गया।

५ चर्खे की बढ़ती हुई मांग को मद्दे नजर रखते हुए निश्चय हुआ कि धनुष तकुवे की शक्ति को जांचने एवं उसकी शिक्षा का प्रबन्ध करने और उसका अधिक प्रचार करने की कोशिश की जाय।

६ खादी उत्पत्ति तथा वस्त्र स्वावलम्बन के मार्ग में आने वाली धुनाई की दिक्कतों को दूर करने के ख्याल से यह विचार हुआ कि हमारे कार्यकर्ता धुनाई का काम सीखने की कोशिश करें।

इस हेतु से 'धुनाई कार्यकर्त्ता' परीक्षा चलाई गई है। इस परीक्षा का विशेष विवरण 'खादी जगत्' के फर्वरी १९४२ के 'खादी शिक्षांक' में दिया गया है।

कार्य वृत्तांत —शाखा की प्रत्येक मास की उत्पत्ति बिक्री की रिपोर्ट नियत फार्मों पर केन्द्रीय कार्यालय को आगामी मास के तीसरे हफ्ते के अंत तक अवश्य भेज दी जाया करे। इसके अतिरिक्त हिसाब संबंधी जो रिपोर्ट वगैरह हिसाब समिति द्वारा मंगाई जावे सो भी भेजी जाया करे।

नये खुलनेवाले या बंद हो जाने वाले केन्द्र या भण्डार का नाम तुरंत ही केन्द्रीय कार्यालय को भेजना चाहिये।

प्रत्येक वर्ष के अंत में आगामी वर्ष के अगस्त के अंत तक प्रत्येक शाखा केन्द्रीय कार्यालय को नियत विषयों पर अपनी वार्षिक रिपोर्ट भेजा करें। इन विषयों की तालिका नीचे दी गई है:—

ऐसे विषयों की सूचि जिनकी जानकारी

वार्षिक रिपोर्ट के लिए आवश्यक होती है।

नोट —शाखाओं से निवेदन है कि वे निम्न तीन शीर्षक से तीन कालम में जानकारी दें।

(१) चर्खा संघ शाखा (२) प्रमाणित संस्थाएं (अगर हों) तथा कुल योग।

(२) ४७, ५० और ५१ की जानकारी सिर्फ शाखा को सारे प्रान्त के लिए अपने दायरे के अंदर की देनी होगी।

१ खादी की कुल उत्पत्ति—मूल्य में, वजन पौंडोंमें तथा वर्गगज में।

२ सूत की कुल उत्पत्ति पौण्डों में तथा ८४० गज की गुण्डियों में।

३ उत्पत्ति केन्द्रों में कुल फुटकर बिक्री।

४ कुल पक्की बिक्री।

५ फुटकर बिक्री —कत्तिनों में, बुनकरों में, धुननेवालों में, ओटनेवालों में, कुन्दीगरों में, धोबियों में, रंगरेजों में, छपाई करने वालों में, दर्जियों में, लुहारों में, बढ़इयों में, (प्रत्येक के लिए अलग अलग)

६ प्रदर्शनियों द्वारा हुई कुल बिक्री (रकम का जोड़ और प्रदर्शनी का नाम दें) गांधी जयन्ती, उद्योग-सप्ताह, फेरी तथा दुकानों द्वारा (प्रत्येक की अलग अलग)

७ कताई-केन्द्रों, बुनाई-केन्द्रों तथा भण्डारों की अलग अलग कुल संख्या विवरण-साल के आखिर की तथा उससे पिछले साल के अन्त की।

८ ग्रामों की संख्या जिनमें कार्य हुआ।

९ निम्न विगत के साथ रजिस्टर में दर्ज कत्तिनों की कुल संख्या —

(i) केन्द्र (ii) विवरण साल व पिछले साल के अन्त में खादी अनामत की रकम (iii) साल भर में खादी खरीद के लिए प्राप्त हुई कुल अनामत (मूल्य में) (iv) खादी-खरीद (मूल्य में) (v) साल अन्त में शेष अनामत (मूल्य में) (vi) खुद-कते सूत से बनाई गई खादी (वर्गगजों में) (vii) रजिस्टर में दर्ज कत्तिनों की संख्या (viii) (क) सम्पूर्ण खादीधारियों की संख्या (ख) आंशिक खादीधारियों की संख्या (ix) (क) हरिजन (ख) मुस्लिम (ग) हिन्दू, हरिजनों को छोड़कर (घ) अन्य (जातिवार)।

१० निम्न विगत के साथ रजिस्टर में दर्ज बुनकरों की संख्या:—

(i) सम्पूर्ण खादीधारी (ii) आंशिक खादीधारी (iii) (क) हरिजन (ख) मुस्लिम (ग) हिन्दू, हरिजनों को छोड़कर (घ) अन्य (जातिवार)।

११ निम्न की कुल संख्या —

ओटने वाले, धुनने वाले, कुन्दीगर, धोबी, रंगरेज, छपाई करने वाले, दर्जी, लुहार, बढ़ई, आदि, इन सब का निम्न चार श्रेणियों में विभाजन (i) हरिजन (ii) मुस्लिम (iii) हिन्दू, हरिजनों को छोड़कर (iv) तथा अन्य (अपने लिए खुद ओटने व धुनने वाली कत्तिनों की संख्या छोड़कर)।

१२ विवरण साल के अन्त में दी जानेवाली ओटाई धुनाई व कताई की दरें तथा बुनाई की मजदूरी। अगर मजदूरी में कोई वृद्धि हुई हो तो उसकी पिछले साल से तुलनात्मक जानकारी।

नोट —(१) धुनाई की मजदूरी पूनी बनाना सहित निम्नप्रकार से बताई जाय —

(क) खुद धुननेवालों को दी गई धुनाई मजदूरी की विभिन्न दरें।

(ख) पेशेवर धुनने वालों को दी गई तथा उनके द्वारा कमाई गई मजदूरी की विभिन्न दरें। पिंजन की किस्म तथा तांत की मोटाई एवं उसमें तारों की संख्या जो कि अलग अलग दरों के लिए उपयोग में लाई गई।

(ग) अगर साबरमती की धुनाई मशीन का उपयोग किया गया हो तो उसकी धुनाई दर। मशीन की कार्य-क्षमता के ऊपर नोट देते हुए।

(२) विभिन्न सूत केंद्रों में काफी तादाद में काते गए विभिन्न अंकों के सूत की कताई मजदूरी। जिसके लिए निम्न अंक बतौर एक सुझाव के दिए जाते हैं ९, १२, १६, २०, २५ और ३०, तथा दूसरे खास महीन अंक।

(३) उत्पत्ति केन्द्रों में तैयार किए गए विभिन्न किस्मों के कपड़ों की बुनाई-दर प्रत्येक किस्म के कपड़े की चौड़ाई, उसमें लगे सूत का अंक, उसके तानेबाने के एक वर्गइंच में धागों की संख्या तथा प्रत्येक वर्गगज का वजन।

१३ रजिस्टर में दर्ज कामगारों द्वारा कमाई गई कुल मजदूरी का जातिवार विभाजन —

(i) ओटने वाले, (ii) धुननेवाले, (iii) कत्तिनें, (iv) बुनकर, (v) धोबी, (vi) कुन्दीगर (vii) रंगरेज, (viii) छपाई करने वाले, (ix) दर्जी, (x) बढ़ई, (xi) लुहार वगैरह।

१४ कत्तिनों का उनकी कमाई के अनुसार विभाजन —

(i) जो सालभर में १ रु० से १२ रुपये तक कमाती है।

(ii) ,, ,, १२ रु० से २४ ,, ,, ,,

(iii) ,, ,, २४ रुपये से ऊपर कमाती है।

नोट —मजदूरी बताते हुए प्रत्येक कतिन की व्यक्तिगततौर पर अलग मजदूरी बताई जाय यदि एक परिवार की एक साथ जिसमें २ या अधिक चर्खे चलते हों।

१५ निम्न विगत के साथ विवरण-साल का तथा उससे पिछले साल की कतिनों की तुलनात्मक कमाई ,—

(i) केन्द्र, (ii) उत्पन्न सूत की कुल तादाद पौण्डों में तथा गुंडियों की सख्या (८४० गज की एक गुंडी) (iii) इसके लिए दी गई कुल मजदूरी, (iv) मजदूरी प्रति पौंड।

१६ बुनकरों का उनकी कमाई के अनुसार विभाजन —

(i) जो सालभर में १ रुपये से २४ रुपये तक कमाते हैं।

(ii) ,, २५ ,, ४८ ,,

(iii) ,, ४९ रुपये से अधिक कमाते है।

नोट —मजदूरी का हिसाब बताते हुए एक बुनकर के खाते में चलने वाले कई करघों पर दी जाने वाली मजदूरी एक ही जगह न बता कर प्रत्येक करघे की मजदूरी अलग अलग बताई जाय।

१७ (क) विवरण-साल के अन्त में तथा उससे पिछले साल में काम पर लगे कार्यकर्ताओं की सख्या —

(i) कताई केन्द्रों में (अ) कार्यकर्ता (आ) कर्मचारी

(ii) बुनाई केन्द्रों में ,, ,,

(iii) बिक्री भडारों में ,, ,,

(iv) केन्द्रीय दफ्तर में (केन्द्रीय दफ्तर तथा रंगशाला के कार्यकर्ताओं की विगत अलग से दी जाय)।

(ख) स्त्री-कार्यकर्ताओं की सख्या तथा उनके कार्य तथा वेतन सम्बन्धी विगत।

१८ कार्यकर्ताओं का उनको मिलने वाले वेतन के अनुसार विभाजन —

(i) प्रतिमास २० रुपये से नीचे पाने वाले

(ii) ,, २० रुपये से ५० के बीच पाने वाले

(iii) ,, ५० से अधिक पाने वाले

१९ १७ नंबर में बताई गई विगत के अनुसार कार्यकर्ताओं को दी गई तनख्वाह।

२० स्थानीय कपास उत्पत्ति के बारे की जानकारी। यह बात सिर्फ उन शाखाओं के लिए है जहां अमुमन कपास पैदा ही नहीं होती है। चर्खा संघ तथा प्रमाणित संस्थाओं द्वारा इस सम्बन्ध में अगर कोई प्रयत्न किया गया हो तो वह भी लिखा जाय।

२१ साल भर में कुल कितनी कपास इस्तमाल की गई। उसमें हाथ से ओटी हुई कितनी तथा मशीन से ओटी हुई कितनी तथा दोनों की प्रतिशत। अगर वास्तविक अंक अलभ्य हों तो आनुमानिक दिए जाय।

२२ स्थानीय, संघ के अपने विभाग द्वारा तथा एजेंसियों द्वारा तैयार किये गये औजारों तथा अन्य बुनाई के समान के सम्बन्ध की जानकारी —

(i) ओटनियां (ii) धुनकियां (iii) तांत (iv) तकुए (v) चर्खे (vi) गति चक्र

२३ खादी सरंजाम कार्यालय साबरमती से तथा अन्य कहां प्रांत बाहर से खरीदे गये औजारों तथा बुनाई-सामान की जानकारी (अनुक्रम संख्या २२ में बताये गये ढंग से) याने (i) ओटनियां (ii) धुनकियां आदि।

२४ साल भर में धुनाई और पूनी बनाई में नई तामी अभ्यस्त बनाई गई कत्तिनों के बारे में जानकारी। रजिस्टर में दर्ज धुनने में अभ्यस्त कत्तिनों की संख्या अलग बताई जाय।

साल भर में नई कत्तिनों की संख्या जिन्हें धुनाई और पूनी बनाने की शिक्षा दी गई हो। तथा रजिस्टर में दर्ज कुल ऐसी कातनों की संख्या। स्वयं धुन लेने वाली कत्तिनों की संख्या अलग बताई जाय।

२५ धुनाई और पूनी बनाई में यदि कोई सुधार हुवा हो तो उसकी जानकारी। साल भर की कुल सूत-उत्पत्ति का (क) स्वयं-धुनने वालों से (ख) चर्खा संघ द्वारा धुनाई-मशीन से (ग) संघ द्वारा सिखाए गए पिंजारों से तथा (घ) धंधदार पिंजारों से—अलग अलग प्रतिशत।

२६ ऐसे चर्खों की संख्या जिनकी कार्यक्षमता, नए तकुने, बारीक तकुवे, चिरींवाले तकुवे या गतिचक्र के उपयोग से बढ़ाई गई हो। वर्ष के दौरान में कत्तिनों ने सुधरे हुए तकुवे कितने लिए। कितने नये गतिचक्र लगाये गये।

२७ सालभर में दिये गये नये सुधरे चर्खों की संख्या तथा उनकी किस्म तथा उनके भिन्न भिन्न भागों की लम्बाई चौड़ाई के हिसाब से जानकारी।

२८ ऐसी नई कत्तिनों की संख्या जिन्हें सालभर के अन्दर कताई के सुधरे तरीकों की जानकारी दी गई। तथा कताई में अभ्यस्त रजिस्टर में दर्ज कत्तिनों की संख्या।

२९ ओटन में किए गये सुधार की जानकारी। ८४० गज की स्टैण्डर्ड गुण्डियों की संख्या जो विवरण साल में प्राप्त हुई तथा उनका कुल सूत उत्पत्ति का प्रतिशत।

३० धागपुर के अन्दर जो वितरित किये गए।

३१ सूत अंक, समानता तथा उसकी मजबूती के लिए कोई सुधार हुए हों तो उनकी जानकारी।

३२ ऐसे कार्यकर्ताओं की संख्या जिनको धुनाई तथा कताई की वैज्ञानिक शिक्षा दी गई हो। इनमें कितने अभ्यस्त हुए तथा इस शिक्षा पर हुआ कुल खर्च।

३३ उत्पत्ति-केन्द्रों में शिक्षित कार्यकर्ताओं की संख्या जो कत्तिनों को शिल्प शिक्षा देने के लिए रखे गये हों।

३४ अगर धुनाई और कताई की प्रतिस्पर्धा हुई हो तो उसके परिणाम तथा उसमें बांटे गये इनामात की पिछले साल की ऐसी ही प्रतिस्पर्धा से तुलना करते हुए पूरी जानकारी।

३५ साल में कत्तिनों की कताई की गति की सूत उतारने के साथ चार पुट के बारमें बताने वाले विवरण जो कि निम्न प्रकार से हों —(एक घंटे की वास्तविक जांच के आधार पर)

१५० और उसके नीचे	१५१ से २००	२०१ से २५०	२५१ [illegible] ३००	३०१ से ३५०	३५१ से ४००	४०० से ऊपर
कत्तिनों की संख्या						
प्रतिशत						

३६ अगर किसी चुने क्षेत्र में स्वावलम्बन का कार्य हुआ हो तो उसकी जानकारी। उनमें संपूर्ण खादीधारियों की एक सूची जो कि प्रत्येक महीने अपने कपड़े के लिए कमसे कम (८४० गज की एक गुंडी) ७½ गुंडी कातते हों।

बीकानेर।

३६ आम भलाई के कामों की जानकारी —

(क) हरिजनों व अन्य ग्रामीणों में ठोस और स्वच्छ भोजन के प्रचार व उसके लिए की गई सुविधाओं की जानकारी तथा सस्ते और शुद्ध भण्डारों की व्यवस्था।

(ख) औषध सहायता —दवाखानों की संख्या उन स्थानों के नाम के साथ जहां कि वे चल रहे हैं। तथा दवाई प्राप्त करने वाले मरीजों की कुल संख्या तथा दवाई पर हुआ वास्तविक खर्च।

(ग) शिक्षा प्रचार —चलाये गए स्कूल व जमातों की संख्या तथा उन केन्द्रों के नाम जहां पर ये चलाये जा रहे हैं। औसतन हाजिरी तथा उनके द्वारा पढ़ना लिखना तथा हिसाब का काम सीखे हुए विद्यार्थियों की संख्या। तथा इनपर होने वाले खर्च की विगत।

(घ) स्वास्थ्य

(च) मादक द्रव्यों का निषेध

(छ) ऋण मुक्ति

३८ रंगाई व छपाई के बारे की जानकारी। रंगरेज व छीपियों की अलग अलग संख्या। रंगाई व छपाई के लिए अलग अलग दी गई मजदूरी तथा संघ के विभागों द्वारा तथा ठेके पर रंगे गये कपड़े का वजन तथा उनकी वर्गगजों में लम्बाई अलग अलग दी जाय।

३९ मुख्य मुख्य किस्मों की कीमत-सूची पिछले साल की कीमत-सूची से तुलना करते हुए। साल में अगर कोई घटी-बढ़ती हो तो उसके कारणों का उल्लेख किया जाय।

४० लगाई हुई पूंजी में तब्दिली —

(i) पिछले साल के अन्त में मौजूद पूंजी।

(ii) विवरण-साल के ,,

४१ शाखा तथा प्रमाणित संस्थाओं के आम कार्य तथा इनकी आर्थिक स्थिति की जानकारी अलग अलग दी जाय।

४२ म्युनिसिपलिटी, लोकल बोर्ड तथा दवाखानों को दी गई खादी की तादाद तथा

४३ प्रांतीय-सरकार तथा पड़ौसी रियासतों के लिए दी गई खादी की तादाद तथा उसका मूल्य।

४४ साल भर में कत्तिन-सभा कोष से विभिन्न मदों में कितनी रकम खर्च हुई। १९२० से लेकर इस जिले में कुल क्या क्या काम हुए हैं। उनमें से प्रत्येक मद में प्रति साल कितनी रकम खर्च हुई और कितना कार्य हुआ उसकी पूरी जानकारी तथा कत्तिन-गण की कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए किये गये प्रयत्नों का उल्लेख किया जाय।

४५ सरकार तथा पड़ौसी रियासतों से मिले व्यापारिक ऑर्डरों का विवरण अन्य शीर्षक से बताया जाय।

४६ प्रकाशित खादी-साहित्य की सूची, मूल्य, डाक खर्च तथा प्राप्ति स्थान। विवरण-साल में प्रकाशित साहित्य को अलग बताते हुए।

४७ ऐसी म्युनिसिपैलिटियों व लोकल बोर्डों की सूची जहां पर खादी चुंगी से बरी है। ऐसे स्थानों की सूची अलग बनाई जाय जहां कि खादी पर सिर्फ विवरण-साल के लिए ही चुंगी माफ की गई थी।

४८ साल में अगर कोई खास अन्वेषण कार्य हुआ हो तो उसकी जानकारी।

४९ विवरण साल के शुरू तथा अन्त में सूत की वास्तविक खरीद तथा उत्पत्ति दर—कपास की कीमत को मिलाकर—अंकवार, प्रति रुपया दोनों में। अगर बरस के बीच में कोई हेरफेर हुई हो तो उसका भी उल्लेख किया जाय।

५० साल आखिर में चर्खा संघ के सदस्यों की संख्या। कर्मचारियों और अन्य की अलग अलग।

५१ प्रांत में अप्रमाणित खादी की बिक्री की कच्ची पक्की जानकारी।

५२ अन्य कोई जानकारी जो वार्षिक रिपोर्ट के लिए उपयुक्त हो।

प्रमाण-पत्र —प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में शाखाएँ अपने प्रांत की प्रत्येक प्रमाणित संस्था और व्यक्ति से नये सिरे से आवेदन-पत्र भरा लिया करें। जो नये वर्ष के लिये प्रमाणित समझे जांय उनकी फेहरिस्त और आवेदन पत्रों की नकल केन्द्रीय कार्यालय को भेज दिया करें। प्रमाणित व्यापारियों का काम काज शाखाएँ बड़ी सावधानी से नियमों के अनुसार करा लेवें।

प्रमाण पत्रों के नियम

(ता १-१-१९४१ से लागू)

१ प्रमाणपत्र खादी की उत्पत्ति और बिक्री के लिए या केवल बिक्री के लिए दिए जायगे। ये खादी का काम करनेवाले व्यक्ति या संस्थाओं को दिए जायेंगे न कि माल को यानी खादी या खादी से बनी हुई चीजों को।

२ प्रमाणपत्र देने का अधिकार चर्खा संघ के केन्द्रीय कार्यालय के सामान्य नियन्त्रण में शाखा के एजन्ट को और जहां एजेन्ट न हो वहां उसके मंत्री को होगा। व्यापारी को जिस शाखा की हद में काम करना हो उसके अधिकारियों से प्रमाणपत्र प्राप्त करना चाहिए।

३ शाखाओं को अपनी विशेष परिस्थिति के लिहाज से अपने लिये उपनियम बना लेने का अधिकार है बशर्ते कि वे संघ के नियमों के विरोधी न हों। प्रमाणित व्यापारी को चर्खा संघ के और शाखा के बने हुए या भविष्य में समय समय पर बनने वाले सब नियम उपनियमों का पालन करना होगा।

४ प्रमाणित व्यापारी को अपना सारा खादी का काम चर्खा संघ की नीति के अनुसार तथा उन्हें संघ द्वारा या जिस शाखा की हद में वे काम करते है उस शाखा द्वारा समय समय पर दी गई हिदायतों के अनुसार चलाना होगा।

५ प्रमाणपत्र का वर्ष १ जुलाई से ३० जून तक का गिना जायेगा। प्रमाण पत्र कभी भी १ वर्ष से अधिक समय के लिए नहीं दिया जायगा। वर्ष के बीच में दिया हुआ प्रमाणपत्र उसी वर्ष के आखिर में खतम हो जायेगा। नए वर्ष के लिए चालू वर्ष के खतम होने से १ माह पहले ही दरख्वास्त करके फिर से नया प्रमाणपत्र ले लेना चाहिए। उसकी मियाद खतम होने-पर व्यापारी को बिना नया प्रमाणपत्र लिए खादी की उत्पत्ति का या बिक्री का काम न करना चाहिए।

६ प्रमाणपत्र उसी व्यक्ति को दिया जा सकेगा कि जो स्वयं और जिसके साथ के खादी काम करनेवाले सब कार्यकर्ता आदतन व सम्पूर्ण खादी धारी हो। और जो स्वयं नियमपूर्वक हर महीने कम से कम साढे सात गुंडी सूत (८४० गज की १ गुंडी) कातते हों और चर्खा संघ के सूत-सदस्य हों। प्रमाणपत्र चाहन

शाला। संस्था के लिए खादी पहनने की शर्त तो उसके सदस्य, अध्यापक, विद्यार्थी, कार्यकर्ता आदि सबपर लागू होगी। पर सूत कातने की तथा चर्खासंघ के सूत सदस्य बनने की शर्त उसके मुख्य पदाधिकारियों के लिए ही अनिवार्य होगा। संस्था के लिए यह भी आवश्यक है कि उसके उद्देश्यों में या कार्यक्रम में खादी का विशेष स्थान हो। व्यक्ति या संस्था दोनों के लिए जरूरी है कि उनके यहां प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी प्रकार से मिल के सूत का या मिल के बने कपड़े का व्यापार न होता हो। शाखा का इस उत्पत्ति का प्रमाणपत्र व्यक्ति की अपेक्षा सार्वजनिक संस्था, ट्रस्ट या रजिस्टर्ड सोसायटी को देने की ओर रहेगा।

७ प्रमाणित व्यापारी नियम उपनियमों का ठीक-ठीक पालन न करेगा तो उसका प्रमाणपत्र उसकी मियाद के बीच में ही रद्द किया जा सकेगा। व्यापारी ने नियमों का भंग किया या नहीं इसके निर्णय करने का अधिकार शाखा को होगा और उसका फैसला व्यापारी को बंधनकारक रहेगा।

८ प्रमाणित उत्पत्ति व्यापारी को खादी केवल हाथ से कते सूत की ही हाथ करघे से बुनवानी होगी। उसे ऐसा प्रबंध करना चाहिए कि उसमें मिल के सूत का मिश्रण बिलकुल न होने पावे।

शाखा की सूचना के मुताबिक कामगारों के रजिस्टर रखने होंगे। और रजिस्टर शुदा कामगारों से ही सूत लेना होगा। तैयार कपड़ा कभी न खरीदना चाहिए। अपने सूत से ही बुनवाना चाहिए। कामगारों को मजदूरी संघ द्वारा नियत की गई दरों से कम न देनी चाहिए और उनको सिखा कर उतनी मजदूरी पाने लायक बनाना चाहिए तथा ऐसा प्रबंध करना चाहिए जिससे उनको अच्छे औजार और अच्छा कच्चा माल मिल सके।

वह अपना माल पर प्रांत में नहीं बेच सकेगा। अपने प्रांत में भी शाखा के नियत किए क्षेत्र में ही बेच सकेगा।

९ बिक्री का प्रमाणपत्र देने में नीति सामान्यतः खादीप्रेमी और खादी सेवा करना चाहनेवाले व्यक्ति या संस्था को उत्तेजन देने की रहेगी। पर वह जहां बिक्री का काम करना चाहता हो वहां सचमुच में उसकी जरूरत है या नहीं इस

और विशेष ध्यान रहेगा। जहां पहले से ही शाखा का या प्रमाणित व्यापारी का भंडार हो वहां नया भंडार चलाने के लिए प्रमाणपत्र नहीं दिया जायेगा। उसे यथाशक्य अपने प्रांत का ही माल बेचना होगा।

१० प्रमाणित व्यापारी को अपना काम मुकर्रर किये हुए क्षेत्र में ही करना होगा। उसके द्वारा शाखा के या अन्य प्रमाणित व्यापारी के काम में बाधा न पहुंचनी चाहिए।

११ प्रमाणित व्यापारी को शाखा की हिदायतों के अनुसार हिसाबकिताब आदि के रजिस्टर रखने होंगे और व निरीक्षकों को बतलाने होंगे, तथा उनको हिसाब जांचने में मदद करनी होगी। समय समय पर मांगी हुई रिपोर्ट और अंक भेजने होंगे, और वार्षिक हिसाब आडिटर द्वारा जंचवा कर शाखा को भेजना होगा।

१२ प्रमाणित व्यापारी को अपना माल शाखा द्वारा समय समय पर नियत की गई दरों से ही बेचना होगा। वह पर-प्रांत से खादी का लेन देन केवल शाखा के मार्फत ही कर सकेगा। वह अप्रमाणित व्यापारी को अपना माल नहीं बेच सकेगा।

१३ प्रमाणित व्यापारी को शाखा द्वारा नियत किया हुआ खर्च लेने के बाद जो बचत रहेगी वह शाखा को दे देनी होगी। यदि शाखा चाहे तो यह बचत की रकम प्रतिमास देनी होगी। यह रकम कामगार सेवा कोष में जमा होकर, संघ द्वारा कामगारों या ग्राहकों के हित में खर्च की जायेगी।

१४ प्रमाणपत्र की मियाद खतम होने पर या रद्द किये जाने की सूचना प्राप्त होते ही वह प्रमाणपत्र, प्रमाणपत्र देने वाली चर्खा संघ की शाखा को वापस कर देना चाहिए।

१५ प्रमाणित व्यापारी को नियत की हुई प्रमाणपत्र की फीस तथा निरीक्षक की फीस प्रमाणपत्र की अर्जी मंजूर होने पर प्रमाणपत्र मिलने के पहले देनी होगी। अभी वार्षिक फीस के दर नीचे मुताबिक है —

उत्पत्ति— प्रथम ५०,००० की उत्पत्ति पर ४ आने सैंकड़ा तथा उससे ऊपर की उत्पत्ति पर २ आने प्रति सैंकड़ा तथा कम से कम रु० १० र —

बिक्री—उत्पत्ति केन्द्र में स्थापित बिक्री भण्डार की बिक्री पर उत्पत्ति केन्द्र वालों से कुछ न लिया जाय। बाकी तमाम बिक्री भण्डारों को इस प्रकार फीस देनी होगी।

बिक्री पर -) आना सैकड़ा फीस हो, परन्तु रु० ८०००) की बिक्री तक सालाना रुपये ५, तथा रु० ८००१) से रु० १६,००० तक रु० १०) से कम फीस न हो।

नोट — इन नियमों में "प्रान्त" का मतलब चर्खा संघ की शाखा के कार्यक्षेत्र से है। और "प्रमाणित व्यापारी" का मतलब उत्पत्ति और बिक्री अथवा केवल बिक्री दोनों तरह के प्रमाणित व्यापारियों से है, चाहे वह कोई व्यक्ति हो, या मण्डल हो, या संस्था या ट्रस्ट हो।

प्रान्तीय सरकारों, देशी राज्यों, स्थानिक स्वराज्य संस्थाओं तथा रजिस्टर्ड सहकारी संस्थाओं के लिये विशेष —

(क) आदतन खादी पहनने, सूत कातने, व चर्खा संघ का सदस्य बनने की शर्तें खादी काम के व्यवस्थापक व कार्यकर्ताओं को लागू हों।

(ख) बचा हुआ मुनाफा चर्खा संघ को दिये जाने के बजाय उसका उपयोग चर्खा संघ की सूचनाओं का विचार करके यथासम्भव कामगारों के हित में ही करना चाहिये। इस सम्बन्ध के उप नियम चर्खा संघ की सलाह लेकर बनाये जाने चाहियें।

(ग) व्यवस्थापक खादी में विश्वास रखने वाला एवं चर्खा संघ की पसन्दगी का होना चाहिये।

प्रत्येक वर्ष के प्रारम्भ में शाखाएं अपने प्रान्तीय चर्खा संघ की व प्रमाणित उत्पत्ति-केन्द्रों और बिक्री भण्डारों की सूची, केन्द्रीय-कार्यालय को भेजा करें, और वर्ष के दौरान में संघ के नये तथा बंद केन्द्रों और भण्डारों, तथा नई प्रमाणित संस्थाओं और व्यक्तियों, व प्रमाणपत्र रद्द हो जाने वाली संस्थाओं और व्यक्तियों के नाम केन्द्रीय-कार्यालय को तुरन्त सूचित किया करें।

खादी एजेन्सियां —एक जगह २ स्थानों में जहां संघ के या प्रमाणित संस्थाओं के बिक्री भण्डार न हों खादी मुहैय्या करने के लिये शाखायें भाग तीन में दिये गये नियमों के अनुसार एजेंसी

दे सकेंगी। स्थानिक विशेष परिस्थिति के कारण नियमों में कुछ परिवर्तन करना जरूरी हो तो केन्द्रीय कार्यालय की मंजूरी लेकर परिवर्तन करना चाहिये।

संघ के सूत सदस्य —प्रत्येक वर्ष के अन्त में आगामी वर्ष की जुलाई के अन्त तक शाखाएं सूत सदस्यों की सूची केन्द्रीय कार्यालय को भेजा करेंगी, जिसमें सदस्य का नाम, पूरा पता, तथा वह कब से कब तक का चन्दा दे चुका है, यह विवरण दिया गया हो।

स्टैंडर्ड किस्में —नीचे लिखी स्टैन्डर्ड किस्में बनाने की भरसक कोशिश की जाय —

सूत का अंक	पोत	धुले कपड़े की चौड़ाई	धुले थान की लंबाई
		सादा शर्टिंग	
८	३२	२७ इंच	१२ गज
८	३२	३२ "	"
१०	४०	३२ "	"
१०	"	४१ "	"
१२	"	४५ "	"
		धोती	
१०	३६	४५ इंच	४ गज
१२	३८	४५ "	"
१४	४२	४९ "	"
१६	४४	५० "	"
		साड़िया या साड़ियों का कपड़ा	
१६	४२	४५ इंच	५ गज
२०	४६	५० इंच	"

उधारी —शाखा अपने प्रत्येक केन्द्र और भंडार को कड़ी सूचना देगी कि वह संघ के किसी कार्यकर्त्ता, या बाहर के किसी ग्राहक या संस्था को पुरजर या थोक किसी प्रकार की भी उधार बिक्री न करेगा, और न कोई माल या नकदी उधार देगा, इस नियम का भंग करने वाले कार्यकर्त्ता के साथ नियमानुकूल कार्रवाई की जायगी। वर्तमान उधारी को वसूल करने का शाखा पूर्ण प्रयत्न करेगी, और प्रति मास उधारी की स्थिति केन्द्रीय कार्यालय को बतलाती रहेगी।

6

हिसाब —शाखाओं के हिसाब स्पष्ट एवं पूरे होने के बारे में काफी हिदायत रखना है। हिसाब किताब के बारे में लगे हुए कार्यकर्ताओं का स्थानान्तर दूसरे कामों में नहीं लगाना चाहिए। शाखाएं अपने यहां के जांचे हुए एवं दुरुस्त किए हुए मासिक तलपट (T B) दूसरे महीने की २५ तारीख तक केन्द्रीय कार्यालय में अवश्य भेज दिया करें।

प्रांतीय कार्यालयों में तीसरे महीने नीचे लिखे खातों का सम्मिलित हिसाब करके केन्द्रीय कार्यालय में भेज दिया करें —

१ अखिल भारत चर्खा संघ का जमा
२ स्थानिक कर्ज खाते जमा (विगत सहित)
३ विविध लोगों में जमा (विगत सहित)
४ फुटकर लोगों को देना
५ कामगारों का जमा —
  (अ) पूंजी के लिये
  (आ) खादी के लिये
  (इ) दिये गये माल की जमा अमानत
६ अन्य जमा रकमें (उचत)
७ बैंकों तथा हाथ की नकदी
८ नाम रकमें —
  (अ) कार्यकर्ता (ऑफिमेन्ट फंड तथा संघ के काम के लिये दी गई पेशगी के अलावा)।
  (आ) कामगार
  (इ) मजदूरों में मालिकों से
  (ई) बाकी अन्य लेना

(ग) 'अमानत' का अर्थ कार्यकर्त्ता द्वारा प्राविडेन्टफंड में दिया गया हिस्सा है, तथा 'देने' का अर्थ चर्खा संघ का दिया हिस्सा है, और इनमें से प्रत्येक पर उपजा हुआ व्याज भी गिना जायगा।

(घ) सिवाय कलम २ के जहां कहीं भी 'नौकरी का समय' का इस्तेमाल हो, उसका अर्थ उस कार्यकर्त्ता के प्राविडेन्ट फंड में शामिल होने के बाद चर्खा संघ में की गई नौकरी का समय है।

(ङ) "सतत नौकरी" का समय गिनने में बीमारी के लिए छोड़कर अन्य किसी कारणवश ली गई छुट्टी का समय बाद किया जायगा।

२ कोई भी कार्यकर्त्ता इन नियमों के अनुसार बनी हुई प्राविडेन्टफंड योजना में चर्खा संघ में कम से कम एक वर्ष नौकरी करने के बाद शामिल हो सकता है।

कोई भी कार्यकर्त्ता जो प्रॉविडेन्ट फंड में शामिल होना चाहे वह नीचे लिखे अनुसार आवेदन भेजे —

मैं इस लेख द्वारा चर्खा संघ ने जो प्राविडेन्ट फंड के नियम बनाये हैं उन्हें कबूल करता हूं, और इकरार करता हूं कि मैं इन नियमों के तथा चर्खा संघ भविष्य में इस विषय में जो भी नियम बनावेगा उनके अनुसार चलूंगा, और स्वीकार करता हूं कि हर महीने मेरी तनख्वाह में से प्रॉविडेन्ट फंड के लिए चर्खा संघ आवश्यक कटौती कर लिया करे।

३ जो कार्यकर्त्ता प्राविडेन्ट फंड में शामिल होता है उसको हर महीने अपनी तनख्वाह के प्रति रुपये पर एक आना रकम जमा करनी होगी, और यह जमा करने की रकम अर्थात् अमानत की रकम जिस कार्यालय में वह काम करता होगा उसके व्यवस्थापक द्वारा जब उसको हर महीने तनख्वाह दी जाती है तब उस तनख्वाह में से काट ली जायेगी।

४ प्रॉविडेन्ट फंड में शामिल हुए कार्यकर्त्ता द्वारा ली हुई तनख्वाह के प्रत्येक रुपये पर एक आने के हिसाब से चर्खा संघ भी उसी समय अपनी देन की रकम जमा करेगा।

५ सब अमानत और देन की रकमों पर हर साल सैकड़ा ३ रुपया व्याज लगाया जायेगा।

कार्यकर्त्ताओं को शाखा द्वारा हिदायतें —शाखा ने की थी कि अपने कार्यकर्त्ताओं के लिये विस्तृत सूचनायें तैयार करें, [illegible] अच्छी हालत में रखें। नकदी की व्यवस्था शाखा द्वारा निर्दिष्ट रीति से हो, समय समय पर शाखा की मांग के अनुसार कार्य और हिसाब सम्बन्धी रिपोर्ट भेजी जाय। आम तौर पर रोजमर्रा के खर्च के लिये कुछ रकम ही [illegible] रखनी [illegible] सब रकम [illegible] बैंक में या [illegible] के यहां जमा करा देनी चाहिये। प्रांतीय कार्यालय, उत्पत्ति केन्द्र, बिक्री भंडारों तथा अन्य विभागों में रखी जाने वाली हिसाब किताब की बहियों, फॉर्मों और पद्धति के विषय में [illegible] हिसाब समिति से समय समय पर प्राप्त सूचनाओं का अमल करना।

जीवन निर्वाह मजदूरी —संघ के विधान में कुछ फर्क किए गए [illegible] ने अपने आदर्श को भी ऊंचा उठाने की कोशिश की। इसी तरह सन् १९२[illegible] तक कत्तिनों को, बाजार में जिस मजदूरी पर काम करने को मिल सकता था उतनी ही मजदूरी दिया जाता। परन्तु १९३५ साल में पूज्य गांधी जी की सूचना के अनुसार मजदूरी की दरों में 'जीवन निर्वाह मजदूरी' का सिद्धांत दाखिल किया गया। इस सम्बन्ध में अ. भा. च. संघ की कौंसिल द्वारा ११ और १२ अक्टूबर १९३५ की वर्धा की सभा में नीचे लिखा प्रस्ताव स्वीकृत हुआ —

१ "इस कार्यकारिणी समिति की यह राय है कि कत्तिनों को अभी जो मजदूरी दी जाती है वह पर्याप्त नहीं है। इसलिये यह समिति ऐसा निश्चय करती

है कि मजदूरी की दरों में वृद्धि की जाय। और उसका एक ऐसा उचित पैमाना निश्चित कर दिया जाय कि जिससे कत्तिनों को उनके आठ घंटों के पूरे काम के लिये कम से कम इतना पैसा मिल जाय कि जिससे उन्हें कम से कम अपना जरूरत भर का कपड़ा (सालाना २० चौरस गज) और वैज्ञानिक रीति से नियत किये हुये आहार के पैमाने के अनुसार भोजन मिल सके। अपनी २ परिस्थिति के अनुसार सभी शाखाओं को कताई की मजदूरी के अपने २ पैमानों को तब तक बढ़ाते जाने की कोशिश करनी चाहिये जब तक कि ऐसा पैमाना न बन जाय कि हरेक कातने के कुटुम्ब का पालन पोषण उस कुटुम्ब के काम करने वालों की कमाई से हो सके।

२ "उपर्युक्त वस्तु के अन्तर्गत जो सिद्धान्त हैं उन्हें अमल में लाने में बरतें संघ के कार्यकर्ताओं को दिशा सूचित करने के लिये, संघ की समस्त शाखाओं, और संघ से सम्बद्ध, या दूसरी किसी भी तरह संघ के नीचे काम करने वाली संस्थाओं के लिये संघ की निम्नलिखित नीति तब तक निश्चित समझी जायेगी जब तक यह समिति अपने नये अनुभव के आधार पर इसमें हेर फेर न करे।

"संघ का ध्येय यह है कि हिन्दुस्तान का हरेक परिवार उसकी वस्त्र सम्बन्धी आवश्यकता को खादी द्वारा पूरी करके स्वावलम्बी बनाया जाय, और खादी उत्पन्न करने वाले कारीगरों में सब से कम मजदूरी पाने वाली कत्तिनों, तथा कपास बोने से लेकर खादी बुनने तक की तमाम भिन्न २ क्रियाओं में लगे हुये समस्त स्त्री पुरुषों का हित साधन किया जाय।

३ "इसलिये यह जरूरी है कि जो लोग बतौर कारीगरों के या बेचने वालों की हैसियत से, या अन्य किसी भी रीति से खादी उत्पत्ति का काम करते हों, उन्हें दूसरे किसी भी प्रकार के कपड़े को काम में नहीं लाना होगा, अर्थात् केवल खादी का ही उपयोग करना होगा।

४ संघ की समस्त शाखाएं और उससे सम्बद्ध संस्थाएं इस योजना को इस तरह अमल में लावें कि घाटा बिलकुल न हो, अर्थात् वे उतनी ही खादी बनावें, जितनी खादी की मांग उनके क्षेत्र में हो। अपने केन्द्र के पड़ोस में वे इसका प्रचार करें, और अपने प्रांत से बाहर कभी न करें, सिवाय उस हालत के कि जब वे दूसरे प्रांतों की निश्चित मांग पूरी करने के लिये अतिरिक्त खादी [illegible]

कार्यकर्ताओं द्वारा की हुई आशा से अधिक सफलता मिली है। कौंसिल, प्रांतीय शाखाओं को यह सम्मति देती है कि वे मजदूरी में और अधिक वृद्धि करने के सम्बन्ध में अपने प्रस्ताव पेश करें, ताकि वे जल्दी ही काम में लाये जा सकें।

कुछ और अनुभव के बाद ता० १-१-३९ से यह नियम लागू किया गया कि सब शाखाओं में आठ घंटे का पूरा काम करने पर कम से कम तीन आना मजदूरी पड़े। इस निर्णय के अनुसार कताई तथा धुनाई की दरों की तालिकाएं बनाई गईं, और उन्हें सब शाखाओं में चालू करने की हिदायत दी गई। उक्त तालिकाओं में कुछ त्रुटियां रह गई थीं, तथा बुनाई की दरों की मर्यादा (मान) निश्चित नहीं की गई थी। इसलिए १९४२ ■ इस प्रश्न का फिर से विचार कर धुनाई, कताई और बुनाई की नई तालिकाएं बनाई गईं उनमें कताई और धुनाई के पूरे आठ घंटे के काम का मजदूरी तीन आना मानी गई, और बुनाई की एक रुपये पीछे दिन के आठ आना, जिसमें कुशल बुनकर और उसके एक साधारण सहायक को मिलाकर करीब १६ घंटे काम करना पड़ता है। ये दरें तथा इन दरों के आधार पर सूत व खादी के पड़ते की तालिकाएं अगले पृष्ठ स दी गई हैं।

तालिका संख्या —१

धुनी–पूनियों से कते सूत का पड़ता

[०–२–० राज़ा के हिसाब से]

अंक	गति तार		कताई दर				धुनाई दर सूचित रुपये	धुनाई व कताई सूचित रुपये	१ सेर रुई की कीमत रुपये	१ सेर सूत के लिए रुई की छीजन के दाम रुपये	८० तो सूत के दाम रुपये	१ गुण्डी सूत के दाम पाई में
			फी गुण्डी		८० तोले के							
	देहली	सूचित	देहली पाई	सूचित पाई	देहली रु०	सूचित रु०						
६	२६०	२६०		८		।।	≈	।।≈	।-	-)	१-	१७
७	२६२	२६६	७ ५/६	८ ३/४	।।	।।=	≈	।।।-	।-	-)	१≈	१६।
८	२६६	२२०	७ ५/८	९	।।-।	।।।	≈	।।।≈	।=	-)	१।=	१६।।
९	२६८	२०८	७ ५/६	९ १/३	।।=।।	।।।=	≈	१-	।=	-)	१।।	१६
१	२४२	२००	८ १/६	९ २/५	।। ≈	१	।	२।	।=	-)	१।।≈	१६।
११	२२०	२९७	९	९ ५/६	२)।।	१=	।	२।=	।=	-)	१।।।-	१५।।।
१२	५२	२८८	९	१०	१=	२।	।	२।।	।=	-)	२।।।≈	१५।।
१२	२२०	२०२	९	९ १/२	१=	१≈	।-	२।।	।-	-)	२=	१७
१४	२०५	२८०	९ ३/६	१० ३/६	२।=	२।।	।-	२।।।-	।।-	-)	२।≈	१६।।।
१६	२९५	२७४	९ ३/४	१० १/२	२।।=	२।।।	।-	२-	।।-	-)	२।।≈	१६
१८	२९८	२७०	३/६	१ ३/३	२।।।-	२	।-	२।-	।।-	-)	२।।।≈	१५।।।
१८	२८८	२८८	९ [illegible]	१०	२।।।-	२।।।≈	।।	२।≈	।।।	-)	३≈	१७
२०	१००	२६७	९ ३/६	१० ५/६	२	२।	।।	२।।।	।।।	-)	३।।-	१७
२२	२९२	२६६	[illegible]	१० [illegible]	२।	२।।	।।	३	।।।	-)	३।।-	१६।।
२४	२९८	२६२	१०	११	२।।	२।।।	।।	३।	।।।	-)	४-	१६।
२६	२७७	२६०	११ [illegible]	११ [illegible]	२।।।-	३	।।≈	३।।≈	१	=)	४।।।	१८।
२८	२६४	२४९	१० [illegible]	११ ३/४	३≈	३।≈	।।=	४	१	=)	५=	१७।।
३०	२५३	२४०	११ ५/६	१२	३।-	३।।।	।।≈	४।=	१	=)	५।।	१७।।
३२	२३३	२३३	१२ १/२	१२ ३/४	४=	४=	।।=	४।।।	१	=)	५।।।=	१७।।

नोट —गति ठहराते हुए यह ख्याल रखा गया है कि महीन कातने वाला आसानी से २ आना या कुछ ज्यादा भी कमा सके। यदि साधन या पूनियाँ योग्य हों तो वास्तव में इस क्रम से गति नहीं घटती जितनी की सूचित करते वक्त क्रमशः घटायी गयी है।

रुई के दर और छीजन के जो दाम तालिका में बतलाए गये हैं वे बाजार भाव, ऋतुमान और कपास के घटिया या बढ़िया रहने के कारण बदलते रहेंगे। उपर्युक्त दरों में परिस्थिति के अनुसार इतना फर्क पड़ता रहेगा।

तालिका संख्या —२

तुनी-पूनियों के सूत का पड़ता

सूत अंक	गति तार फी घंटा देहली	गति तार फी घंटा सूचित	कताई दर रुपयों में देहली	कताई दर रुपयों में सूचित	तुनाई गति तोलों में	तुनाई दर रुपये	तुनाई व कताई दर रुपयों में	तुनाई व कताई दर, फी गुण्डी पाई	कपास या रुई का दाम छीजन सहित रुपयों में	सूत दर रुपयों में	गुण्डी की कीमत पाई में	सूचना
२६	२७७	२८२	२॥।-	२	१।	१॥=	४॥=	१७	१=	५॥।	२१	कच्चे तन्तु निकाले बिना
२८	२६४	२७०	३=	३।=	१।	१॥=	५	१७	१=	६=	२२	
३०	२५३	२६०	३।-	३॥	१।	२॥=	५।=	१७	१=	६॥	२२	
३२	२३३	२५२	४=	४=	१।	२॥=	५॥।	१७।	१=	६॥।=	२०॥।	
३६	२४०	२६६	४॥	४॥।	॥।=	२॥	७।	१९।	२॥	८॥।	२३॥	बिहार पद्धति से कच्चे तन्तु निकाल कर
४०	२२९	२५४	५।	५॥	॥।=	२॥	८	१९।	२॥	९॥	२२	
४५	२२५	२४२	६	६॥	॥।=	२॥	९	१९।	२॥	१०॥	२२॥	
५०	२२४	२३३	६॥=	७॥	॥-	३॥।	११।	२१।	२॥	१२॥।	२४॥	
५५	—	२२६	×	८॥	॥-	३॥।	१२।	२१।	२॥	१३॥।	२४	
६०	२२५	२२१	८	९॥	॥-	३॥।	१३।	२१।	२॥	१४॥।	२३॥।	
६५	—	२१७	×	१०॥	॥-	३॥।	१४।	२२	२॥	१५॥।	२३॥	
७०	—	२१३	×	११॥	॥-	३॥।	१५।	२२	२॥	१६॥।	२३	
७५	—	२२५	×	१२॥	।=	६।	१८॥।	२४	२॥	२०।	२६	आंध्र पद्धति से बाहर और कच्चे तन्तु निकाल कर
८०	—	२१८	×	१३॥।	।=	६।	२०	२४	२॥	२१॥	२६	
८५	—	२१३	×	१५	।=	६।	२१।	२४	२॥	२२॥।	२५॥।	
९०	—	२०८	×	१६।	।=	६।	२२॥	२४	२॥	२४	२५॥	
९५	—	२०४	×	१७॥	।=	६।	२३॥।	२४	२॥	२५।	२५॥	
१००	—	२००	×	१८॥।	।=	६।	२५	२४	२॥	२६॥	२५॥	

नोट —अंक २६ से ३२ तक के दर ≈। रोजी के हिसाब से तय किये गये हैं।
,, ३६ — ७० ,, ,, ≈॥ ,, ,, ,,
,, ७५ — १०० ,, ,, ≈॥। ,, ,, ,,

तालिका संख्या —३

खादी की नियत किस्मों का पड़ता

[नई दरों के अनुसार]

अनुक्रम संख्या	किस्म	सूत का अंक	पौत	रोडी (२० घर)	धुलने पर: लम्बाई में गजों	धुलने पर: चौड़ाई में इंचों में	गुण्डी संख्या	सूत वजन सेर	सूत दर रुपये	सूत कीमत रुपये	बुनाई कीमत रुपये	धुलाई कीमत रुपये	पड़ता रुपये	बचत रुपये	मिली दर: पार्श्वी रुपये	मिली दर: गज्जी रुपये	फी रु० पर रोज बचत
१	शर्टिंग	८	११	२२½	१२	२७	२६	१॥=	१।=	२=॥।	॥=	=	२-॥।	॥=।	३॥।	।-	१७½
२	"	८	१२	२५½	१२	३२	३०½	१॥=॥।	।=	२॥=।	॥-	=	३॥=।	॥-॥।	४॥	।=	१९
३	"	१०	४	३२	१२	३२	३८½	१॥=॥।	१॥=	३।	।	=	४।=	॥-	५।	।=	१५½
४	"	१	४०	४१	१२	४५	१४	२॥=।	१॥=	४॥-	१।=॥	=	६=॥	॥।=॥	७=	।-॥	१४
५	"	१२×	४०	४१	१२	४५	५४	२।	१॥।=	४।-॥।	१।=॥	=	७।=।	१=॥।	७=	।-॥	१३½
६	"	१२×	"	"	१२	"	"	"	२=	४॥।-	१।=॥	=	६।=॥	१-॥	७॥	॥=	१४½
७	धोती	१०	३३	४½	१२	४५	४८½	२।=	२॥=	४-॥।	२।।	=	५॥-	॥।-	६।=	॥॥	२२½
८	"	१२×	३८	४२½	१२	४१	५१½	२=१	२॥।=	४=।	२।-॥	=	॥=॥	॥=।	६।=	॥॥	२२
९	"	१२×	"	"	१२	"	"	"	२=	४॥॥	२।-॥	=	६-।	१=॥।	७=	॥-॥	२४½
१०	"	१४	४२	४७½	१२	४५	६७	२=॥	२।=	४॥।=।	।।=॥	=	६॥-॥।	॥।=।	७॥	॥=	२२
११	"	१६	४४	५५	१२	५०	६६	२-	२॥=	५॥॥।	२॥=॥	=	७=।	२॥ ॥।	९	॥।	१७
१२	साड़ी	१६	४२	४७½	१२	४५	६७	२॥ ॥	२॥=	४॥।।	२।=॥	=	६।=॥।	७-।	८॥	॥=	१४½
१३	"	२०	४६	५७½	१२	५०	६९	२॥=॥।	३॥-	६=॥	२॥। ॥	=	८=	२॥=	१०॥।	॥।-	१६½

—× १२ नम्बर मे घटिया और बढ़िया दोनों किस्मों की रुई के इस्तेमाल किये जाने से किस तरह का फर्क होगा, यह बताने के लिए शर्टिंग और धोती में दोनों प्रकार का पड़ता दिया गया है।

१२ गज धुले थान के लिये फी रोडी २½ गुण्डी सूत लगेगा ऐसा हिसाब यहाँ जोड़ा गया है याने ५ धोती के लिये और एक मैचक के लिए ६ बढ़िया रहेगी। चौड़ाई और गढ़ी का अनुपात ५ : ६ [redacted] रहेगा। यह सम्भव है कि किसी ओर में ताना १२ गज से अधिक

ये दरें कम से कम है। यदि कोई शाखा चाहे तो केन्द्रीय-कार्यालय से मंजूरी लेकर अधिक मजदूरी भी दे सकती है। हमारा प्रयत्न यही होना चाहिए कि हम धीरे २ कामगारों की आमदनी बढ़ाते जावें। मजदूरी की दर जिस कम से कम आय को नजर में रखकर नियत की गई है, उतना प्राप्त करने लायक सब कामगारों को बनाना हमारा कर्तव्य है। कत्तिन के पास बहुधा औजार भी अच्छे नहीं रहते, और वह कातने की कला भी उतना नहीं जानती। उसे स्वयं रुई भी अच्छी नहीं मिलती इसलिए शाखाओं का कर्तव्य है कि वे कत्तिनों को अच्छा कच्चा माल मिला सकने में सहायता करें, औजार अच्छे मिलने का प्रबंध करें, और उनको कातने की कला में कुशल भी बनावें, ताकि वे पूरी रोजी कमा सकें। कामगारों को कार्यकुशल बनाने का उत्तम तरीका परिश्रमालय चलाना है, जिसकी जानकारी 'खादी जगत्' के जुलाई १९४२ के अंक में दी गई है। परिश्रमालय के बजट का फार्म भाग तीन में दिया गया है। कच्चे माल, और औजारों के लिए संघ को घाटी सहन करने की आवश्यकता नहीं है, परन्तु कत्तिनों को धुनाई और कताई सिखाने और उन्हें कुशल बनाने के लिये कुछ खर्च करना पड़ेगा। चर्खा संघ में जो बचत होती है वह कामगार सेवा कोष में सुरक्षित रखी जाती है। उक्त खर्च तथा कामगारों के हित के अन्य कार्य इस 'कामगार सेवा कोष' में से किये जाने चाहियें। उनकी तफसील इस प्रकार है —

कामगार सेवा कोष का विनियोग

चर्खा संघ की ता० ७ से १० नवम्बर १९४० की सभा में कामगार सेवा कोष के सम्बन्ध में नीचे लिखा प्रस्ताव स्वीकृत किया गया —

बहुत सी शाखाओं में कामगार सेवा कोष (कत्तिन सेवा कोष) काफी जमा हो गया है। अब उसे अधिक बढ़ाने की फिलहाल आवश्यकता नहीं मालूम होती। चर्खा संघ की नीति भी यह है कि कामकाज उस रीति से किया जाय कि उसमें मुनाफा न रहे। तथापि यदि मुनाफा रह गया तो उसका क्या किया जाय इसकी चर्चा होकर निश्चय हुआ कि संघ की शाखाओं में अथवा प्रमाणित व्यक्ति व संस्थाओं में जो मुनाफा हो उसका केन्द्रीय दफ्तर का दसवां भाग छोड़ कर बाकी कामगारों अथवा खरीददारों के हित में खर्च कर देने की नीति रहे।

उक्त प्रस्ताव के अनुसार निम्न बातें सोची गई है —

कामगार सेवा कोष में दो प्रकार की रकमों का समावेश होता है। एक कामगार की (१) अप्रत्यक्ष कटौती की और दूसरी भाव-वृद्धि के कारण या अन्य कारणों से शाखा में हुवे

इन दोनों रकमों में से किस किस प्रकार के काम के लिये खर्च करना उचित होगा इस बारे में नीचे लिखी बातें निश्चित की गई है और उनका महत्व भी अनुक्रम के अनुसार समझना चाहिए।—

१ कामगारों को परिश्रमालयों में दस्तकारी की तालीम देना यानी पक्का माल तैयार करने और शीघ्रता से तैयार करने की शिक्षा देना।

२ कामगारों में सरंजाम वितरण करना तथा सरंजाम कार्यालय चलाना।

३ खादी विद्यालय चलाना।

४ कामगारों के बच्चों को उद्योग और अक्षरज्ञान दोनों दृष्टियों से शिक्षा देना।

५ प्रौढशिक्षा—कामगारों को अक्षरज्ञान देना।

६ सुधार व संशोधन करना।

७ कामगारों को मुफ्त औषधियां देने का प्रबंध करना, स्वच्छता और खानपान के बारे में उन्हें उचित शिक्षा देकर आरोग्य के बारे में उनका ज्ञान बढ़ाना और उनका आचार सुधारना।

८ कामगारों की ऋणमुक्ति की योजना चलाना।

ऊपर लिखे मुद्दों में कौनसी बातें शामिल की जा सकती है और ये योजनायें किस ढंग से चलायी जानी चाहिये इसका अधिक खुलासा आगे दिया जा रहा है —

१ दस्तकारी तालीम —

कामगारों की कला और उत्पादन शक्ति में तरक्की करने की दृष्टि से उन्हें शिक्षा दी जाय। इसके लिए शिक्षकों का, स्थान के किराये का और परिश्रमालय की व्यवस्था के लिए लगने वाला कुछ फुटकर खर्च इस मद में डाला जाय।

कामगारों को इस प्रकार की शिक्षा देने का प्रबंध दो तरह से किया जा सकता है। गांव में किसी एक स्थान में उन्हें इकट्ठा करके शिक्षा देना या उनके घर घर घूम कर उन्हें सिखलाना। घर घर घूम कर सिखलाने में अधिक शक्ति और सावधानी की जरूरत पड़ती है। इसलिए यह ठीक समझा गया है कि पहले तो कामगारों का एक स्थान में जमा करके ही ऐसी शिक्षा देने की योजना अमल में

दी जाय। जिन कामगारों की तरक्की सतोषप्रद पाई जाय वे बाद में अपने घर काम करें लेकिन उन्हें जो शिक्षा दी जा चुकी हो उसे कायम रखने की दृष्टि से उनपर देखभाल रखी जाय।

परिश्रमालय के मानी कामगारों को इकट्ठा करके शिक्षा देने के नियम ऐसे हों कि कारीगरों को सहर पोश बनने में और शरीर-शुद्धि वस्त्र शुद्धि, आदि के नियम पालन करने में सहायता मिले।

परिश्रमालय के फुटकर खर्च में निम्न बातें शामिल की जा सकती है। रिकार्ड रखने के लिए मोमीसी स्टेशनरी, चर्खे के लिए लगनेवाला तल, गोंद, सफाई के लिए झाड़ आदि। इसके उपरान्त मल मूत्र विसर्जन के लिए स्थान तयार करना।

तांत, बारर, तकुवा आदि का खर्च कामगारों को स्वय ही करना चाहिए। ये चीजें कभी भी मुफ्त में नहीं दी जानी चाहियें।

२ सरंजाम वितरण करना तथा सरंजाम कार्यालय चलाना—

हमारे कामगार आज जिन साधनों द्वारा खादी उत्पादन का काम कर रहे है। उनमें तरक्की के लिए काफी गुंजाइश है। विशेष करके साधनों में दो दृष्टियां रख कर तरक्की करने की जरूरत है।

१ ऐसे साधन जिनसे माल अधिक अच्छा बन जाय।

२ ऐसे साधन जिनसे कामगार की उत्पादन शक्ति में वृद्धि हो और परिणाम स्वरूप उसकी कमाई का परिमाण बढ़ जाय और माल भी सस्ता बना सके।

ऊपर लिखे गुणवाले सरंजाम का कामगारों में प्रवेश कराने के लिए यह योजना बननी चाहिए। कामगारों को ऐसे साधन मुफ्त में बांटने की आवश्यकता नहीं है। मगर उनकी रकम एक मुश्त वसूल करना भी कठिन होता समव है। इसलिए यह योजना नुकसान की बनाने की जरूरत नहीं। मगर कामगारों से कीमत धीरे धीरे वसूल करने की दृष्टि से केवल पूजी लगाना उचित समझ कर यह योजना की जाय।

सामान्य सरंजाम वितरण करने का तरीका यह हो कि कामगार परिश्रमालय में कुछ दिन एसे उपयोग सीख लें। उसकी कीमत का कुछ हिस्सा वहीं अदा कर दें, और बादमें वह ले जाय और पीछे कुछ समय में बाकी कीमत दे दें।

सरंजाम वितरण के लिए यह आवश्यक है कि प्रान्त की दृष्टि से किसी एक स्थान में सरंजाम कार्यालय चलाया जाय। इसमें यथासम्भव नुकसान नहीं होना चाहिए। बल्कि नुकसान तो कतई नहीं होना चाहिए। यह संभव है कि प्रारम्भ में सरंजाम का उत्पादन कम हो और उसकी बिक्री भी कम हो तो पूरा पूरा व्यवस्था खर्च उसमें से न निकल पावे। उस दशा में कुछ अरसे तक व्यवस्था खर्च का नुकसान कुछ हद तक उठाया जा सकता है। वरना यह योजना भी पूंजी की लागत वाली योजना में ही शामिल समझनी चाहिए।

३ खादी विद्यालय चलाना—

संघ की खादी प्रवृत्तियों के लिए कार्यकर्ता तैयार करने की दृष्टि रखकर विद्यालय चलाया जा सकता है। इसमें नुकसान उठाना अनिवार्य है। नुकसान की रकम इस मद में डाली जाय।

विद्यालय किस ढंग से चलाया जाय इस विषय में यहां अधिक लिखने की जरूरत नहीं है। वहां संघ की खादी शिक्षण समिति ने इस सम्बन्ध में जो मर्यादाएँ जारी की हैं उन्हें नजर में रखकर इन विद्यालयों का कार्यक्रम रखा जाना चाहिए।

यह विद्यालय किसी उत्पत्ति केन्द्र में ही चलाना इष्ट समझा जाय ताकि विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष काम का अधिक से अधिक अनुभव मिल सके।

४ कारीगरों के बच्चों की शिक्षा—

शिक्षण में कारीगरों को प्रथम स्थान दिया जाय। अक्षरी-शिक्षा ऐसी दी जाय जो उनके कारीगरी जीवन में उपयोगी साबित हो।

खर्च स्वपोष हो ऐसी दृष्टि रहे, नियम न बनाया जाय। पुस्तक, स्टेशनरी आदि का खर्च यथा सम्भव बिल्कुल कम किया जाय। खेल का सामान बिना खर्च का हो। मकान किराया न लगे ऐसी योजना बनाने की कोशिश की जाय। खास इसी काम के लिए मकान तो कतई न बनाया जाय।

बच्चों की दस्तकारी से कुछ हद तक आय करने की कोशिश करना बुरा न माना जाय। ऐसी आय का अधिक से अधिक आधा हिस्सा बच्चों को ही उनके व्यक्तिगत लाभ के लिए लौटाया जा सकता है।

नोट —तालीमी सघ की इस मांग पर कि चर्खा सघ की हर शाखा में कारीगरों के बच्चों के लिए—एक एक पाठशाला—'सघ' की ओर से चलायी जाय और उनमें बुनियादी शिक्षा का अभ्यास क्रम जारी किया जाय—विचार किया गया।

चर्चा होने के बाद और बाद में पूज्य गांधी जी की सम्मति मिल जाने पर यह प्रस्ताव किया गया कि चर्खा सघ के लिए हर शाखा में ऐसी पाठशालाएँ अभी खोलना सम्भव नहीं होगा। मगर जिन शाखाओं में कारीगरों के बच्चों के लिए चर्खा सघ की ओर से पाठशालाएँ चली रही हों उनमें चार दर्जे तक बुनियादी शिक्षा का पाठ्यक्रम लागू करने की कोशिश की जाय।

५ प्रौढ शिक्षा—

कामगारों के फुरसत के समय का ध्यान रखकर प्रौढ शिक्षा के वर्गों का समय निश्चित किया जाय। पुरुषों के लिए यह समय रात का रखने में आपत्ति न मानी जाय। किन्तु स्त्रियों के लिए रात्रिशालायें नहीं होनी चाहिएँ। उनके लिए दिन का ही कोई अनुकूल समय इस काम के लिए चुना जाय।

इन वर्गों में भी कामगारों के अलावा अन्य व्यक्तियों को शामिल करने में आपत्ति न मानी जाय। बशर्ते कि उनके कारण कोई खर्च न बढ़ता हो।

कार्य की कुशलता को बढाने के लिए परिश्रमालय की स्वतन्त्र योजना ऊपर बतला दी गई है। प्रौढ शिक्षा की योजना कामगारों का अक्षरज्ञान बढाने के हेतु से हो की जाय। यह अक्षरज्ञान इस प्रकार का हो कि जिससे उन्हें अपने काम में उपयोग भी होता रहे। आवश्यक अक, गिनती व सरल हिसाब का ज्ञान खास तौर पर दिया जाय। इसके अलावा सन्तों की कथायें, भजन, वर्तमान परिस्थिति की साधारण जानकारी अखबारों में से देना आदि कार्यक्रम किये जाय। पुरानी रूढियों में जहां दोष हों वहां उनसे मुक्ति दिलवाना, भ्रम हटाना, व्यसनों को छुड़वाना, भाषा शुद्ध करवाना आहार, शरीर और वस्त्र शुद्ध रखवाना आदि बातें भी इन वर्गों में समझायी जा सकती है।

इस योजना के लिए स्वतन्त्र कार्यकर्ता रखकर पूरे वेतन का खर्च करने की जरूरत नहीं है। सघ के कार्यकर्ताओं में से ही कोई कुछ समय इस काम के लिए दे सकें तो उनके वेतन का कुछ अश इस खर्च में डालना ठीक होगा।

रात्रिशाला के लिए आवश्यक हो तो तेल और बत्ती का खर्च इस योजना में शामिल आ सकता है।

६ सुधार व संशोधन —

यह भी नुकसान की मद रहे तो। मगर एक बात अवश्य ख्याल में रहे कि कुदरती तौर पर इस काम में जिन की विशेष रुचि हो और बुद्धि भी चलती हो ऐसे कार्यकर्ता मिलने पर ही ऐसी योजना बन सकती है। ऐसे कार्यकर्ता न हों तो संशोधन व सुधार की योजना न बनाई जाय। ऐसे कार्यकर्ताओं के वेतन का खर्च और प्रयोगों में लगनेवाले साधन सामग्री का खर्च भी सब इस मद में किया जाय।

संशोधन और सुधार के प्रयोगों में नीचे लिखी बातें शामिल मानी जाय —

१ कपास से कपड़ा बनाने तक इस्तेमाल किये जाने वाले प्रचलित साधनों में हमारी मर्यादा का ख्याल रखकर माल अच्छा बने और उत्पादन अधिक हो ऐसे सुधार करना।

२ अधिक उत्पादन हो और माल अच्छा बने ऐसे नये साधनों की शोध करना।

३ 'सरंजाम स्वावलम्बन' की दृष्टि से साधनों में सुधार करना यानी जो साधन तुलना में भले ही कुछ कम उत्पादन देने वाले हों फिर भी कामगार की स्वतन्त्रता कायम रखकर खर्च की कमी, सादगी और शारीरिक श्रम की पूरी शक्ति का जो विकास करने वाले हों ऐसे साधनों की शोध करना, उनका विकास करना और उनको ज्यादा से ज्यादा शक्ति आजमाना।

४ कपड़े की मजबूती की दृष्टि से ओटाई, धुनाई, कताई और बुनाई की क्रियाओं के बारे में कोई भी प्रयोग करना।

५ कच्चा और पक्का माल तथा सरंजाम के गुण-दोष जाँचने के साधन और सूत्र तैयार करना।

६ खादी के आज के काम में व्यवस्था खर्च घटाने की दृष्टि से या काम की सहूलियत बढ़ाने की दृष्टि से किसी भी प्रकार का प्रयोग करना।

एवं उपर्युक्त संशोधनों के लिये संशोधक को उचित पारितोषिक दिया जाय। पारितोषिक की योग्यायोग्यता और मान मुकर्रर करने का काम किसी समिति द्वारा करवाया जाय।

७ आरोग्य—

कामगारों के मोहल्ले, तालाब, कुएँ आदि स्वच्छ करने के लिए लगनेवाले कुछ फुटकर साधन

का या औजारों का खर्च इस मद में किया जा सकता है। सफाई आदि के काम में सहकारी पद्धति पर कामगारों ने परिश्रम को काम में लेने के बाद और कहीं कहीं खर्च के कुछ हिस्से के लिए चन्दे के रूप में भी उनसे सहकार मिलने पर बाकी का खर्च इस सेवा कोष में से दिया जा सकता है।

आरोग्य की दृष्टि से शरीर, कपड़, आहार, पानी, अपने अपने घर और मोहल्ले की स्वच्छता का महत्व कामगारों को समझाने के लिए आवश्यक कार्यक्रम इस खर्च से किया जा सकता है। मोहल्ले की स्वच्छता में, तालाब, कुवें आदि की स्वच्छता में जहां तक हो सके खर्च कम से कम करना चाहिए। कामगारों के साथ कार्यकर्ताओं को खुद इस प्रकार की सफाई में हिस्सा लेना चाहिए।

खानपान में स्वच्छता के अलावा पोषण की दृष्टि से और ग्रामोद्योग की दृष्टि से उपयोगी आहार लेने के लिए कामगारों को समझाना चाहिए। जैसे कि हाथघानी का अमिश्र तेल, स्वच्छ गुड़, बिना छड़ा चावल, हाथ का पिसा आटा आदि।

कपड़े स्वच्छ करने के लिए नजदीक में यदि सज्जीमिट्टी मिलना सम्भव हो तो साबुन के बजाय उसी का उपयोग किया जाय।

बाल या शरीर धोने के लिए बेसन, रीठा, शिकाकाई आदि गांव में पैदा होनेवाली चीजों का उपयोग बतलाया जाय।

व्यसन कम करने की कोशिश की जाय।

मोहल्ले की स्वच्छता के लिए तथा नालियों आदि के लिए कुछ खर्च करना हो तो जहां पर सब के कामगारों को लाभ एक ही स्थान में अधिक हो सके ऐसे स्थान इस काम के लिये चुने जांय। यह काम इस ढंग से कम से कम खर्च में करना चाहिए कि जिसका अनुकरण दूसरे देहातों में भी किया जा सके।

औषधियों के बारे में यथासम्भव आयुर्वेदिक औषधियां ही काम में लाई जांय। इन औषधियों को इस्तेमाल करने में भी कुदरती उपचार यानी उपवास, पेट की शुद्धि आदि का महत्त्व समझाकर कामगारों से उन नियमों का पालन कराने की कोशिश की जाय। दवाईयों का उपयोग कम से कम करने में श्रेय है यह बात ख्याल में रखी जाय।

हैजा आदि संक्रामक रोग फैलने का डर हो तब वर्षा के दिनों में पानी उबालकर ही पीने का कामगारों में प्रचार किया जाय।

८ ऋणमुक्ति की योजना—

ऋणमुक्ति की योजना में भी सिर्फ पूंजी लगाने की दृष्टि रहे, नुकसान न हो। इस योजना में बहुत सावधानी रखने की जरूरत है। कई बार ऋण मिल जाने पर कामगार अपने काम में लापरवाही करने लगता है और माल खराब बनाता है। अपने काम में जागृत और प्रामाणिक कामगार को ही इस काम में शामिल करने की सावधानी रखनी चाहिए। किसी भी बड़ी रकम का कर्ज नहीं देना चाहिये। अधिक से अधिक एक कामगार को रकम रु. २५ तक की हो। कर्ज की मुद्दत कभी भी १ साल से अधिक की न हो। यदि हो सके तो ६ महीने से अधिक मुद्दत न होने देने की कोशिश करना अच्छा होगा।

यह योजना कामगारों की सहकारी पद्धति पर बनाई जाय। इस योजना में शामिल किये गये कामगार दूसरे किसी के कर्जदार न रहें यह नियम बनाया जाय। कर्ज लेनेवाले के लिये उन्हींके मण्डल में से दो या तीन कामगारों को जामिन रखकर ही कर्ज दिया जाय।

इस योजना में ब्याज न लेना ठीक होगा है। लेकिन बिलकुल बिना ब्याज के रकम देने में कुछ और बुराइयां खड़ी होने का भय रहता है। इसलिए यह उचित समझा जाता है कि २ से ३ प्रतिशत सालाना ब्याजपर रकम दी जाय।

कर्ज किस काम के लिए दिया जाय इसके लिए भी कुछ नियम बना लेना जरूरी है। इसकी योग्यसी सूची नीचे दी जाती है —

१ घर में आग लगने के बाद उसकी दुरुस्ती के लिए।

२ वर्षा के आरम्भ में घर का छप्पर दुरुस्त करने के लिए।

३ कामगार की या उसके अवलम्बित कुटुम्बी जनों की लम्बी बीमारी या मृत्यु के बाद की अन्त्यविधि के लिये या प्रसूति के लिए।

४ कामगार के लिए या उसके आत्मीयों में से किसी की भी शादी के खर्च के लिए यदि वह बिना फिजूलखर्ची के थोड़े खर्च में ही होना हो।

५ किसी व्यापारी के भारी ब्याजवाले कर्ज से पिंड छुड़ाने के लिए।

६ मौसम में अनाज या रुई संग्रह करने के लिए।

देहातों में मौसम पर अनाज या रुई सस्ती मिल जाती है। पर एक बार माल व्यापारियों के पास पहुंच जाने पर बाद में वह कामगारों को बहुत महंगा मिलता है। यदि कामगार अपनी जिम्मेवारी पर

सस्ते भाव में कुछ संग्रह करना चाहे तो दुकान का व्यवस्था खर्च न लगाते हुए उन्हें इस प्रकार से कर्ज देने से अच्छी आर्थिक सहायता मिल जाती है।

कामगारों की जमा रकम

(क) हमारा माल रुई, पूनियाँ, सूत आदि कामगारों के पास रहता है। पिछला अनुभव यह रहा है कि, यदि उनके एवज में हमारे पास उनकी रकम जमा न रहो तो उसमें से कुछ अंश डूब जाता है। इसलिये उनके पास हमारा माल जितना रहे, उसके मूल्य की रकम हमारे पास जमा रहनी चाहिये। कहीं २ शाखायें रुई और पूनियाँ कामगारों को बेच देती है, और उसके दाम नकद ले लेती है। यह तरीका बेहतर है, कारण इसमें हिसाब की झंझट मिट जाती है। बुनकरों को सूत बेचना मुश्किल हो जाता है, इसलिये उनके पास रहने वाले सूत के एवज में रकम रख लेनी पड़ती है।

(ख) हमें कामगार को स्वयं और उसके कुटुम्बियों को भी खद्दर पोश बनाना है, इसलिए उनकी मजदूरी का कुछ अंश रख लिया जाता है, और वह कपड़ा देने लायक जमा होने पर खादी के रूप में दिया जाता है। मजदूरी का यह अंश किस परिमाण में हो, यह प्रश्न कुछ कठिन है। कुछ शाखाएँ रुपये पीछे २ आना और कुछ इससे अधिक रखती हैं। एक अष्टमांश से कम तो कदापि नहीं रखा जा सकेगा, परन्तु अधिक रख लेने में यह सोच लेना चाहिए कि कामगार को अपने निर्वाह खर्च में ज्यादा अड़चन न हो। जिन कामगारों के परिवार आदतन खद्दर पोश है, उनकी मजदूरी का कोई अंश इस प्रकार रख लेने की जरूरत नहीं है।

(ग) हमारा सारा काम कामगारों के हित के लिए है, इसलिए काम बढ़ाने में पूंजी की कमी कुछ अंश में दूर करने की दृष्टि से ऊपर 'क और ख' में लिखी हुई रकमों के अलावा, और भी कुछ रकम उनकी मजदूरी में से काटकर रख लेना वाजिब और जरूरी है। इस रकम का परिमाण क्या हो इसका विचार शाखा अपनी परिस्थिति के अनुसार करे। तथापि शीघ्र ही नहीं तो कुछ आगे चलकर शाखा की उत्पत्ति के हिसाब से यह रकम पन्द्रह फी सदी तक होना योग्य है। शाखाओं की 'आवश्यक पूंजी' गिनने में इस रकम का भी हिसाब लगाया जायेगा। हरेक कामगार से थोड़ी २ रकम ली जाय तो भी कामगारों की संख्या अधिक होने के कारण, हमें एक स्थायी रकम उपलब्ध हो सकती है, जिसका लाभ अंत में कामगारों ही को मिलता है। ऐसी

जमा रखी हुई रकम वापिस माँगने का कामगार को अधिकार है। काम छोड़ देने पर, वह उसको मिल जानी चाहिये, परन्तु यह सच है कि रकम की आवश्यकता होने पर रकम वापिस लेने के लिये कामगार काम बंद कर दे और फिर तुरन्त ही काम माँगने के लिए आवे। इस हालत में केवल रकम लेने-देने का ही व्यर्थ परिश्रम होगा। इसलिये ऐसा प्रबंध हो कि उसे अपनी रकम काम छोड़नेपर चार या ६ महीने के बाद मिले। उसे काम देने की यह शर्त ही होना चाहिये कि रकम इस प्रकार जमा रहेगी और काम बंद होनेपर अमुक मियाद के बाद ही वापिस मिल सकेगी। ये पद्धति उन्हें अच्छी तरह से समझा देना चाहिये, और हमारी यह शर्त भी सब पर लिखित जाहिर कर देनी चाहिये।

(घ) उत्पत्ति केन्द्र में वहाँ के आसपास के कामगारों को खादी सस्ती मिलनी चाहिये। सब का नियम यह है कि शहर में किसी भंडार में जिस दर से खुदरा बिक्री की जाती है उससे कम से कम १२½% कम दरें केन्द्र में कामगारों के लिये स्थानिक उत्पत्ति के माल की रहें।

औषधालय

हमारा काम बहुत दूर २ तक फैला हुआ है और बिखरा हुआ भी है। इसलिए हमारे सब कामगारों के काम में आ सकें ऐसे औषधालय चला सकना असंभव है। औषधालयों के बारे में संघ की नीति यही है कि हम संघ के खर्च से औषधालय न चलावें। औषधालय चलाने हों तो, वे स्वावलंबी होने चाहियें, उनका बोझ संघ पर न पड़े, जो औषधालय से लाभ उठाते हों, उनसे खर्च वसूल कर लिया जाय। यदि कामगारों को जँचे तो ऐसी कुछ व्यवस्था हो सकती है कि वे थोड़ी २ रकम की मदद करके चंदा कर लेवें, उसका प्रबंध कर लेने के लिये अपने में से ही कुछ की कमेटी बनावें और वह कमेटी संघ-कार्यकर्ता के मार्ग दर्शन में काम करे। आशय यह है कि कामगार लोग सहकारी पद्धति से अपने सार्वजनिक हित के काम करना सीखें।

इसके अलावा संघ की ओर से औषधि के लिये मदद देना हो तो ऐसा कुछ इन्तजाम करना चाहिये कि कुछ सादी आयुर्वेदिक औषधियाँ केन्द्र के व्यवस्थापक के पास रखी जावें। यह औषधियाँ मामूली बीमारियों में काम पड़ने लायक हों, संख्या तथा परिमाण में भी थोड़ी सी ही हों। उनका इस्तेमाल किस रोग के लिये कैसे किया जाये, इसके पत्रक छपवा लेवें, जिनके आधार पर हमारे कार्यकर्ता उन औषधियों का कामगारों के लिये सामान्य रोगों में उपयोग करें। वे कठिन रोग की चिकित्सा अपने हाथ में बिलकुल न लें। इस खर्च का बजट, बजट समिति से मंजूर करा लेना चाहिये।

काम के हिसाब से पूंजी

हमारा लक्ष्य यह होना चाहिये कि हम कम से कम पूंजी में अधिक से अधिक काम कर सकें। ठीक परिमाण निश्चित करना मुश्किल है तथापि विचार करके चर्खा संघ फिलहाल इस निर्णय पर आया है कि हमारे काम के लिये पूंजी का परिमाण नीचे लिखे अनुसार काफी समझना चाहिये —

१	सूती खादी उत्पत्ति (रुई से)	२०%
२	,, (सूत से)	१७%
३	ऊनी उत्पत्ति	६०%
४	रेशमी ,,	३०%
५	मरजाम ,,	७१%
६	फुटकर बिक्री (भंडारों तथा एजण्टों द्वारा)	२०/
७	,, (उत्पत्ति केन्द्र-स्थानिय उत्पत्ति)	१५%
८	,, (बाहिर से लाये हुये माल की)	२०%
९	केन्द्रीय वस्त्रागार और माल रास्ते में	१०% शाखा की पक्की बिक्री का।

ऊपर वस्त्रागार के लिए १०/ पूंजी की रकम रखी गई है, परन्तु सब माल वस्त्रागार में पहुंचकर बाद में बिक्री-भंडारों में पहुंचाने की नीति ठीक नहीं है। उत्पत्ति-केन्द्रों से माल सीधे बिक्री भंडारों में पहुंच जाना चाहिये। इस रीति से काम करने से पूंजी की रकम में भी कुछ बचत हो जायेगी।

साल भर काम चलाने के लिये रुई का स्टाक रखना पड़ता है। उस पर यदि किसी साहूकार या बैंक से रकम ली जाय तो रुई के स्टाक में हमें रकम न अटकानी पड़े। इसलिये हमें कुछ ऐसा ही प्रबंध करने का प्रयत्न करना चाहिए। इसके अलावा कत्तिनों द्वारा ही अपने अपने काम के लिये चाहिए उतनी कपास का या ऊन का स्टाक रखवाने का भी प्रयत्न करना चाहिए। इसके बारे का एक सविस्तर लेख 'खादी जगत्' के सितम्बर १९४१ के अंक में छपा है।

वस्त्र स्वावलम्बन

वस्त्र स्वावलम्बन को उत्तेजन देना, और उसके बढ़ने में जो अड़चनें हों उनको हटाना हमारा कर्त्तव्य है। इस काम के लिये औजार, कपास या रुई, कातना सिखलाना और सूत बुनवाना-इतनी

की जरूरत है। कपास व रुई का संग्रह कातने वालों को अपना २ रखना चाहिये। हमारे उत्पत्ति-केन्द्रों में अधिक माल हो तो हम वह उन्हें उचित मूल्य में नकदी से बेच सकते हैं। हो सके तो बिक्री भंडारों में मर्यादित परिमाण में पूनियाँ नकद बिक्री के लिए रखी जाँय। हमारे उत्पत्ति-केन्द्रों तथा बिक्री भंडारों में अच्छे औजार बिक्री के लिए रखने चाहियें। यदि कहीं कम से कम १० आदमी एक जगह नियमित रूप से कम से कम चार घंटे कताई और धुनाई सीखने के लिये आवें तो उनको सिखाने के लिये यथा सम्भव एक कार्यकर्त्ता रखना चाहिये। कार्यकर्त्ता को पूरे समय का काम देने के लिये आवश्यक है कि वह दिन भर में चार चार घंटों के दो समय मुकर्रर कर लेवे, और प्रत्येक समय में कम से कम १५ व्यक्तियों को सीखने के लिये बुलावे। कार्यकर्त्ता का वेतन चर्खा संघ देवे। उसके रहने के स्थान का तथा अन्य खर्च का प्रबंध स्थानिक लोग करें। चर्खा संघ के उत्पत्ति केन्द्रों में सूत बुनने के लिये आवे तो बुनने की मजूरी तथा योग्य कार्यालय का खर्च लेकर सूत बुन दिया जावे। यदि भंडार में वस्त्रस्वावलम्बी सूत बुनने के लिये आवे तो इस प्रकार का सूत २० सेर वजन का संग्रह होने तक वहीं रख लिया जाय। उतना संग्रह होने पर मालगाड़ी (गुड्स् ट्रेन) से पास के चर्खा संघ के उत्पत्ति-केन्द्र में भेजा जाय। बुना जानेपर अन्य माल के साथ कपड़ा उसी भंडार में पहुंचाया जाय। वहाँ से वह सूतवाले को बुनाई के दाम नकदी लेकर दिया जाय। यह सूत और कपड़े भेजने का खर्च चर्खा संघ करे। इस व्यवहार में यह दोष है कि कपड़ा बहुत देर से दिया जा सकता है। कभी २ एक दूसरे के सूत की अदला बदली हो जाती है। कभी २ सूत के बंडल गुम हो जाते हैं, और कभी २ सूत-मालिक की हिदायत के मुताबिक कपड़ा नहीं बन पाता। भंडार के व्यवस्थापक को चाहिए कि वह यह सब अड़चनें सूत वाले को बतला दे। यदि वह इतने पर भी अपना सूत देना चाहे तो उसे लेकर बुनवा देना चाहिये। कहीं २ स्थानिक उत्साही सार्वजनिक कार्यकर्त्ता कुछ संगठन बनाकर सूत कतवाते हैं, और स्थानिक बुनकर द्वारा बुनवाने की कोशिश करते हैं। उसमें कार्यकर्त्ता के निर्वाह का प्रश्न खड़ा होता है। उस संगठन को मदद पहुंचाने के लिये चर्खा संघ एक वर्गगज पीछे एक आना नये कातने वाले के सूत के लिए मदद देवें। परन्तु यह मदद साल भर में किसी एक क्षेत्र के जिसकी त्रिज्या ५ मील से अधिक न हो संगठन के लिए रुपये १२०) से अधिक न हो। पुराने कातने वाले के लिये यह मदद क्रमशः कम होकर अधिक से अधिक दूसरे साल के अंत में बंद हो जाय। इस योजना में यह ख्याल रहे कि दिन ब दिन नये २ वस्त्रस्वावलम्बी सूत कातने वाले तैयार होने चाहियें। इस उद्देश्य को सिद्ध करने लायक नियम बनाकर यह मदद देनी चाहिये। इसके लिये केन्द्रीय कार्यालय से मंजूरी लेनी चाहिये। वस्त्रस्वावलम्बी सूत कातने वाला अपना सूत चर्खा संघ के किसी उत्पत्ति केन्द्र में या बिक्री भंडार में लावे तो उससे उसका सूत परीक्षा करके चर्खा संघ की दरों से इस शर्त पर मोल ले लेना चाहिये कि सूत वाला अपने सूत के वजन की खादी, जिसके कि सूत का नंबर उसके सूत के समान या अधिक हो खरीद कर ले। अर्थात् सूत का मूल्य काटकर उतनी खादी का मूल्य नकदी दे दे।

कतैन को खादी देने से शायद सूत वाले को कुछ अड़चन हो, इसलिये कुछ समय के लिये, इस काम को उत्तेजन देने के इरादे से सूत के मूल्य की खादी दी जा सकती है। परन्तु ऐसा करते समय यह सावधानी रखी जाय कि सूत लाने वाले व्यक्ति ने स्वयं या अपने कुटुम्ब में ही सूत काता या कतवाया है या नहीं। इसके लिए निम्न लिखित मर्यादाएँ उपयुक्त होंगी —

१ किसी एक व्यक्ति से पक्का ढाई सेर से अधिक सूत एक दफा में न लिया जाय।

२ सूत ६४० तार अर्थात् ८४० गज की लच्छियों में ही लिया जाय।

यह भी ख्याल रहे कि मिल की पूनियों का सूत न खरीदा जाय। ऐसे याने मिल की पूनियों से कते सूत को उनके लिए बुनवा देने में हर्ज न समझना चाहिये।

हमारे बिक्री भण्डारों में बिक्री के लिए पूनियों के बण्डल रखे जाते हैं उनपर उन पूनियों से कितने नंबर तक का सूत कातना उपयुक्त है उसकी सूचना का लिखा रहना आवश्यक है। जिससे कातने वाला उस रुई की शक्ति से अधिक नंबर कातने के प्रयत्न में कमजोर सूत न काते।

यदि कहीं से बुनकर की मांग आवे तो उचित शर्तें तय करके मांगने वाले के खर्च से बुनकर भेजने की भी कोशिश करनी चाहिये। जहां तहां मिल का सूत बुनने वाले बुनकर आप रहते ही हैं। उनको हाथ सूत बुनना सिखाना चाहिये। इस प्रकार यथासंभव व्यावहारिक तरीकों से वस्त्रस्वावलंबन के काम को मदद पहुँचानी चाहिये।

वस्त्रस्वावलंबन के काम में सब से भारी दिक्कत बुनाई की है। अब हमारे बहुत से कार्यकर्ता कताई में कुशल हो गये हैं इसलिये वे कताई के बारे में जो प्रश्न खड़े होते हैं, उनका हल ढूंढ निकाल सकते हैं। परन्तु वे बुनाई में इतने जानकार न होने के कारण उस विषय की कठिनाई दूर करने में अपने को असमर्थ पाते हैं। जिस बुनकर को मिल का सूत बुनने की आदत है, उसको हाथ सूत की प्रत्यक्ष बुनाई दिखलाकर उसमें आत्मविश्वास पैदा नहीं कर सकते। प्रत्यक्ष प्रयोग करके यह साबित नहीं कर सकते कि हाथ सूत की बुनाई में भी बुनकर की पूरी आमदनी हो सकती है। इसके अलावा वह बुनकर के दूसरे दोष भी नहीं हटा सकता, तथा नये बुनकर नहीं तैयार कर सकता। इसलिये चर्खा संघ ने अब बुनाई कार्यकर्ता की परीक्षा कायम की है। शाखाएं अपने कार्यकर्ताओं को बुनाई काम में अधिक से अधिक संख्या में कुशल करा लें।

हर वर्ष वस्त्र स्वावलंबियों की अपने अपने प्रांत की फेहरिस्त बनानी चाहिये। तथा उनकी संख्या बढ़ाने का जोरदार प्रयत्न करते रहना चाहिये। इसी संबंध में यह भी लिख देना ठीक होगा कि संघ,

9

है कार्यकर्ताओं पर ऐसे वस्त्रस्वावलम्बी होने की जिम्मेवारी विशेष आती है। संघ, कार्यकर्ताओं को उस प्रकार के वस्त्रस्वावलम्बी बनाने की भरसक कोशिश करे तथा कार्यकर्ता भी पूर्ण वस्त्रस्वावलम्बी होना अपना कर्तव्य समझें। वस्त्रस्वावलंबी की व्याख्या यह है कि जो अपनी खुदी से कतत-सम्पूर्ण खादी पहिनता हो, और नियमित रूप से हर महीने कम से कम ७॥ गुंडी सूत कातता हो।

गत दो तीन सालों से कई प्रांतों में चर्खा-जयन्ती के मौके पर सूत और चन्दा जमा किया जाकर पूज्य गांधीजी को अर्पण किया जा रहा है। महात्माजी इसका उपयोग खादी काम में करने का आदेश देते रहे हैं। उनकी हिदायत है कि चर्खा जयन्ती के नाम से चन्दा प्रायः खादी काम के लिए ही किया जाय। इस चन्दे तथा सूत का परिमाण साल ब साल बढ़ता ही आया है और आशा है भविष्य में भी वह अधिकाधिक बढ़ेगा। इस रकम व सूत के उपयोग का सही तरीका अख्तियार करना जरूरी हो गया था। इसलिए इसबार की संघ की सभा में इस प्रश्न का विचार होकर पूज्य गांधीजी की सलाह से निम्न प्रस्ताव पास हुआ है —

" निश्चय हुआ कि चरखा संघ के मन्त्री जी उस उस प्रान्त वाले कुछ व्यक्तियों की जिनकी संख्या ११ से अधिक न हो एक सलाह समिति बनाकर उनकी सलाह का ख्याल करके रकम का उपयोग उस उस प्रान्त में खादी काम के लिए विशेषतः वस्त्र स्वावलम्बन के लिए करने का प्रबन्ध करें।"

नोट —यहां पर यह बतला देना अनुचित न होगा कि पूज्य गांधी जी की जन्मगांठ की संख्या गिनने में भी कहीं कहीं भिन्नता रही है। कुछ लोग हिंदू पद्धति से गिनते हैं तो कुछ पाश्चात्य पद्धति के अनुसार। संघ ने इसपर गौर करने के बाद निश्चय किया कि यह जन्म दिवस गिनकर मानी जाय अर्थात् आगामी जयन्ती ७४ वीं गिनी जाय।

कार्यकर्ता-शिक्षा-शिविर

हमारे कार्यकर्ताओं को अपने काम में कुशल होने के साथ २ खादी के सिद्धान्त अच्छी तरह समझ लेने चाहिएं और उनके अनुसार यथासम्भव अपना निजी जीवन बिताना चाहिए। इसके मदद रूप दिसम्बर १९४१ की सभा में संघ ने निश्चय किया है कि एक एक मास की अवधि के कार्यकर्ता शिविर शाखाओं द्वारा चलाये जाएं, जिनमें अच्छे आचार्यों की देखभाल में कार्यकर्ताओं को इकट्ठा कर उनको खादी का विज्ञान बतलाया जाय साथ ही वे वहां पर अत्यन्त सादे जीवन से रहें, जहां चाय, कॉफी, तंबाकू, पान, बिड़ी आदि व्यसनों की चीजों का बिलकुल इस्तेमाल न हो, और सब काम रसोई बनाना, सफाई पाखाने साफ करना आदि स्वयं अपने हाथों से किए जायं और नौकर बिलकुल न रखा जाय। शाखाओं को चाहिये कि वे सुविधानुसार ऐसे शिविर जरूर चलावें। एक शिविर में ३० से अधिक

कार्यकर्ता न हो तो ठीक होगा। परन्तु धीरे धीरे शाखा के सभी कार्यकर्ता एक एक बार शिविर शिक्षा का लाभ उठा सकें यह ख्याल रखा जाय। शिविर जीवन संबंधी विस्तृत नियम 'खादी जगत्' के जनवरी १९४२ के अंक में पृष्ठ २८८-२४९ पर दिये गये हैं।

चर्खा संघ के कारोबार में कुछ सिद्धांत संबंधी सामयिक प्रश्न खड़े हुये। वे पूज्य गांधीजी के सामने दिसंबर १९४१ में चर्खा संघ की सभा के समय रखे गये थे। प्रश्न और उनके उत्तर कार्यकर्ताओं के मार्गदर्शन के लिए उपयोगी होने के कारण नीचे दिये जाते हैं —

श्री जाजूजी के पत्र में पहिली बात यह थी —

"करोडों की हो क्यों न हो पर केवल खादी बनवाकर बेच देने से खादी का संपूर्ण उद्देश्य सफल नहीं हो सकता। हम खादी कार्यकर्ताओं को अपना कर्तव्य समझ लेना चाहिये कि सत्य व अहिंसा का स्वयं सरसक अनुसरण करते हुये व खादी के सिद्धांत को अपने जीवन में उतारते हुये अपने नैतिक प्रभाव से हमारा जिन जिन से सम्पर्क आता है उन सबको उन सिद्धांतों के अनुसार चलने को प्रेरित करना है। इसलिये खादी काम में विशिष्ट प्रकार के कार्यकर्ता चाहियें। अब भी कुछ ऐसे कार्यकर्ताओं से संघ सुशोभित है। परंतु मुख्य कार्यकर्ता जिस कोटि के होंगे वैसा ही रंग उनके आधीन कार्यकर्ताओं पर चढ सकेगा। आज संघ के ६००० कार्यकर्ता हैं। काम बढने के साथ साथ उनकी संख्या कई गुनी बढ सकती है। सारे भारतवर्ष में फैले हुए कार्यकर्ता समाजसेवकों की एक बड़ी भारी शक्ति बन सकते हैं। ऐसे कार्यकर्ताओं की संख्या कैसे बढाई जाय? देश की भलाई के लिये त्याग तपस्या की जरूरत है। रचनात्मक कार्य का महत्व सत्याग्रह से अधिक माना गया है। और रचनात्मक काम में लगे हुओं को जेल की यातना से मुक्त रखा गया है। पर हम त्याग तपस्या से मुक्त नहीं माने जा सकते। आज बहुत से कार्यकर्ता संघ के सूत सदस्य हैं अवश्य, पर मेरे ख्याल से उनमें से बहुतेरे नियम के बंधन के कारण से हैं, न कि अपने उत्साह से। हम लोगों से चाहते हैं कि वे वस्त्रस्वावलंबी होने के लिये नियमपूर्वक हर मास ७॥ गुंडी सूत कातें। पर कार्यकर्ताओं में से स्वयं अल्प संख्यक ही वैसा करते हैं। खादी पहिनने के बारे में भी कुछ शिकायतें हैं, खादी के अन्य सिद्धांतों की बात तो दूर रही। हमें कार्यकर्ताओं के नैतिक गुणों की ओर अधिक ख्याल देना चाहिए"।

इसपर पूज्य गांधीजी का वक्तव्य इस प्रकार था —

श्री जाजूजी का पत्र कई दिन पहिले मिल चुका था। इसमें काफी बातें मुझे प्रिय हैं। मैंने इसपर आज कुछ चर्चा कर लेना आवश्यक माना है। अगर इसमें बताई गई बातें मुझे लिखनी होतीं तो शायद मेरी भाषा कुछ भिन्न रहती, मगर बातें वही होतीं। इसमें सिद्धान्त ठीक [illegible] हैं।

यह दूसरी बात है कि उन पर अमल नहीं कर हो सकेगा। लेकिन अच्छा है कि सिद्धांत को हम साफ २ समझ लें। सिद्धांत कायम हो जाने पर हमारा गमन की दृष्टि पर हो जाती है। आपस में मतभेद के लिये स्थान नहीं रहता। अमल में यदि कमी है तो प्रयत्नशील बनें। प्रयत्न के सिवाय हम और कर भी क्या सकते हैं।

श्री जाजूजी ने बताया है कि अगर खादी की जड़ में जो सिद्धांत है उनको हमने अच्छी तरह पहिचान नहीं लिया तो कितनी भी खादी हम पैदा करलें हमारा काम सिद्ध नहीं होता है। हिंदुस्तान खादीमय तो पहिले भी था। इतना ही नहीं, दुनियां के बड़े बड़े देशों को भी खादी पहुंचाता था। लेकिन आज हम उसपर अभिमान नहीं कर सकते। उस वक्त भी हम राजकाज से नहीं थे। उन दिनों राजा और कारम... लोग लाग का तरह से गरीबों को चूसकर खादी लेते थे। उस पहनते थे और इस तरह धन इकट्ठा करते थे। इसीलिये आज भी हमें खादी की बात इतिहास में दिक्कत होती है।

लेकिन आज हम यह मानते हैं कि खादी हमारा मुक्ति का साधन है। मैंने यह बात सन् १९०८ में पहिले सोची थी। जो चीज पहिले हमारी गुलामी का कारण थी आज वही हमारी मुक्ति का द्वार होगा, यह समझ कर हमें चलना है।

इसीलिये हमने खादी का जन्म सत्य और अहिंसा पर रखी है। अगर हम जड़ को भूल जांय और किसी न किसी तरह से खादी पैदा करने की कोशिश करें तो मौका आ जायगा कि आखिर हम खादी को चला देंगे। दूसरे रचनात्मक कामों को कोई उतना मज़ाक नहीं उड़ाता और उतना तिरस्कार नहीं करता जितना खादी का मज़ाक लोग उड़ाते और निंदा करते हैं। मित्रों के आ जाने से उन्हें ऐसा करने का और भी मौका मिल गया है। उनकी दृष्टि से यह बात ठीक है। वे कहते हैं कि पहिले भी खादी थी तो फिर हम गुलाम क्यों बने। इसी खादी को हम स्वराज्य का ज़रिया कैसे समझें ! इसका जवाब देना सच का कर्तव्य है। श्री जाजूजी ने यही प्रश्न रखा है।

खादी तो हमें बहुत बड़े पैमाने पर बनानी है ही, यह बात भी हमें सोचनी है। लेकिन अगर हम सत्य और अहिंसा को भूल गये तो हम कितनी भी खादी बनावें आखिर हम डूब जा रहेंगे। अगर हम अपनी जड़ को न पकड़ें तो हम में गन्दगी भी पैदा हो जाती है। इसलिये कार्यकर्ताओं को चाहिये कि खादी के सब कारोबार की स्वच्छता के बारे में भी वे ध्यान करें। आज जब कि हम बहुत बड़े पैमाने पर खादी बनाने की बात सोचते हैं, तब जड़ को नहीं भूलना चाहिये। आज मैं यह नहीं कहूंगा कि हमारी सब की सब शक्तियें भी सत्य और अहिंसा को पहिचानें। लेकिन अपने ५०००' कार्यकर्ताओं के बारे में मैं यह जरूर कहूंगा। यदि वे ऐसे नहीं होंगे तो हमारा काम अच्छी तरह नहीं चलेगा, हम [illegible] जायगे। श्री भारतनंदजी ने १० साल में हिंदुस्तान को पूरी खादी देनी हो तो हरसाल किस क्रम से

खादी पहनी चाहिये उसकी एक योजना बनाई है। आज तो वह केवल कागज पर से अंकित है। मगर यह एक बड़ी चीज भी बन सकती है। मगर यदि कार्यकर्त्ता ही ऐसे न मिलें तो वह कैसे होगा? यदि हम तय करलें तो हम सफल बन सकते हैं इस चीज को श्री जाजूजी ने पहिला स्थान दिया है वह ठीक ही है। इस तरह के कार्यकर्त्ता कैसे पैदा करें? यह प्रश्न हमारे सामने है। जागृत रहने से हम में अहिंसा और त्याग की भावना पैदा होगी। त्याग की शक्ति से हिंसा भी रुक सकता है। हिटलर भी त्यागी कहा जाता है। वह तो हिंसा का मूर्त है। सुना जाता है कि वह निरामिषाहारी है। कुछ मानने में फिरक आती है कि फिर वह इतने कत्ल को कैसे बरदाश्त कर सकता है। यह कुछ भी हो उसका जीवन त्याग से भरा बतलाया जाता है। वह नि यसनी है। उसने शादी नहीं की है। उसका आचरण साफ बतलाया जाता है। वह बहुत जागृत रहता है। हमम तो त्याग और अहिंसा दोनों चाहिये। अहिंसा का अर्थ है प्रेम, पहले मुख्य कार्यकर्त्ताओं में यह पैदा होना चाहिए। घुस से शुरू करें। मेरे बाद जाजूजी में और फिर कौंसिल के सदस्यों में। हम जागृत रहें और सावधान बनें। हमारे जीवन का प्रभाव जनसमाज में भी कार्यकर्त्ताओं पर पड़ेगा। तब हम खादी के बारे में निःशंक और निर्भय बन सकेंगे। हमारी प्रगति भले धीमी हो मगर जो सिद्धांत बनाये हैं उन्हें छोड़ना नहीं चाहिये। उन्हें हम न छोड़ें तो हम सफल होंगे ही।

खादी कार्यकर्त्ताओं का वेतनमान!

श्री जाजूजी के पत्र का अंश —

कार्यकर्त्ताओं के निर्वाह का प्रश्न महत्व का है। यह सिद्धांत मान लेना जरूरी है कि हम कार्यकर्त्ता लोग सेवा के लिये हैं। हम सब क लिये हैं न कि सब हमारे लिये। हमारे कुछ कार्यकर्त्ता उन्हें जितना बाहर मिल सकता है उससे काफी कम वेतन लेते हैं। पर कठिन प्रश्न तो यह है कि वेतन का निश्चय करने में हमारा मानदंड क्या हो। कहा गया है कि आदर्श समाज में एक मजदूर का तथा एक बड़े से बड़े न्यायाधीश का भी वेतन समान हो। लेकिन आज तो यह बात दूर की, कल्पना की एक स्वप्न की समझनी चाहिये। हमने मजदूरों की मजदूरी तीन आने पर शुरु की है। मजदूर और कार्यकर्त्ता में सामान्य मानलिया है। उसका समर्थन भी गुंजाइश भी है। मजदूर घर के उपवाऊ प्राय सभी कमाते हैं, जब कि कार्यकर्त्ताओं में सामाजिक प्रथा के कारण एक-आध ही कमाता है, बाकी के घर बाकी उसी पर अवलम्बित रहते हैं। खान पान व रहन सहन की आदतें भी ऐसी हैं कि कार्यकर्त्ताओं को अधिक खर्च किए बिना नहीं चलता। पर हमारे लिये कठिन प्रश्न यह है कि कार्यकर्त्ताओं के वेतन में फरक कहां तक रहे। आवश्यकताओं का मान हमारे का नहीं। कारण आवश्यकताओं के बारे में सबकी कल्पनायें भिन्न २ हैं। सबसे ज्यादा तो

अन्त भी नहीं। हमारी संस्था आदर्श की ही नहीं, व्यावहारिक है। इसलिए हम आदर्शवादिता की ही ओर ध्यान देवें और व्यावहारिक योग्यता की परवाह न करें तो हमारा सारा काम बिगड़ जायगा। हमारे काम का नैतिक पहलू भी कुछ कम महत्व का नहीं है। इसलिए हमें योग्यता को स्थान देते हुए उन 'सादे जीवन' के सिद्धांतों में नियमन करना जरूरी है। हम मजदूर वर्ग से अच्छा पैसे पर कार्यकर्ताओं में ही यह अन्तर कम से कम रहना ही उचित होगा। यदि अधिकारियों का वेतन अधिक रखकर हम कार्यकर्ताओं का भी वेतन बढ़ाते हैं तो बहुतों को बाजार के मूल्य से आकर्षित करना होगा, और लोगों की यह शंका सच्ची सिद्ध रहेगी कि संस्थाएँ फिजूल खर्ची करके भारी बिना कारण मँहगी करती है। आर्थिक स्थिति की दृष्टि से हमारे कार्यकर्ता निम्न मध्यम श्रेणी के हैं। इस दशा में आवश्यकताएँ समान होने पर भी जब एक दूसरे के वेतन में अधिक अन्तर रखा जाता है तब हमारे पास नैतिक जवाब नहीं रहता। योग्यता, अनुभव, पुराना सम्बन्ध व कार्य की जिम्मेदारी आदि कारणों से कुछ अन्तर अपने आप ही हो जाता है। प्रश्न यही है कि वह कहाँ तक रहे। प्रत्यक्ष व्यवहार में यह अनुभव आता है कि जहाँ अधिकारी व कार्यकर्ता वर्ग के वेतन में अंतर अधिक रहता है वहाँ उनका नाता मालिक-नौकर का सा हो जाता है। साथियों-सा भाव नहीं रहता, अधिकारियों का अपने कार्यकर्ताओं पर नैतिक प्रभाव भी नहीं रहता, वातावरण प्राय: व्यापारिक ही बन जाता है। दूसरा के कार्यकर्ता भी हमें हमारे कार्यकर्ताओं में से ही तैयार करने पड़ते हैं। उनका तो बहुत अल्पवेतन में संतोष किए बिना काम ही नहीं चल सकता। इन विभिन्न दृष्टियों से विचार करते हुए सब के कार्यकर्ताओं की वेतन मर्यादा का प्रश्न बहुत ही महत्व का प्रश्न है। तथापि इस संबंध में मुझे बहुत संकोच है, कारण एक तो मैं ऐसी योग्यता नहीं रखता, दूसरे इसमें कार्यकर्ताओं का व्यक्तिगत सम्बन्ध होने के कारण गैर समझ होना सम्भव है। मैं कोई आग्रह नहीं रखना चाहता स्वयं कार्यकर्ताओं को ही इस प्रश्न का बड़ी गंभीरता से विचार करना चाहिये।

पूज्य गांधीजी का प्रत्युत्तर —निर्वाह वेतन का प्रश्न जटिल है। मैं भी इसका निर्णय नहीं कर सका हूँ। एक अच्छा आदमी है, उसकी योग्यता भी बढ़ी चढ़ी है तो मुझे प्रलोभन होगा कि उसे हम छोड़ न सकेंगे। अगर हम कोई नियम बनालें तो फिर उसका पालन होना ही चाहिये। मैंने भी स्वयं ऐसे नियम बनाने की कोशिश की है। पर आज हमें अपनी लाचारी स्वीकार करनी पड़ेगी। ऐसा नियम तो हम बना ही नहीं सकते कि जिससे आदमी ही न मिले। ऐसे नियम बनाने का मतलब होगा कि हम राज्य को नहीं पहिचानते। इस प्रकार तो हम कतैनों को तीन आना देने का अपनी शर्त भी खो बैठें। यह बात सच्ची न रहेगी कि जब हम कत्तिन को तीन आना मजदूरी देते हैं तो मुझे भी तीन आना पर गुजर करें। आज तो हम कत्तिनों से कई गुना ज्यादा ले रहे हैं। हमारे में कम से कम वेतन पाने वाला भी कतैनों से कई गुना अधिक पाता है। मगर मुझे शर्म के साथ कबूल

करना पड़ता है कि यह चीज हमें मुश्किल में डाल देगी। पर मेरे पास कोई सन्तोष कारक जवाब नहीं है।

प्रश्नोत्तरी

आजूजी —संघ के पास खादी की मोनापली है। हमें वह अपने पास रखने का तब तक ही हक है जब तक हम उसका सदुपयोग करते रहें। मेरे ख्याल से उसके सदुपयोग के लिये यह अत्यन्त आवश्यक है कि हम अपना सारा व्यवहार सफाई से करें, खर्च कम से कम रखें, मजदूर को मजदूरी पूरी दें और ग्राहक को खादी यथासम्भव सस्ती बेचें, मुनाफा न करें। पिछले कुछ वर्षों के मुनाफे की ओर ख्याल करते हुए मालूम होता है कि अब कुछ समय के लिये नीति थोड़ा नुकसान बरदाश्त करने की रहे तो अच्छा हो।

गाधीजी —यह विचार योग्य लगता है।

× × × ×

आजूजी —रकम के बारे में केन्द्रीय दफ्तर और शाखाओं में असन्तोष और अविश्वास रहता है। रकम का पूरा उपयोग होना अत्यन्त आवश्यक है। शाखाके पास रकम फाजिल रहे तो वह केन्द्रीय दफ्तर में आ जानी चाहिये। जरूरत हो तब फिर मिलनी चाहिये। इस व्यवस्था में एक अड़चन खड़ी होना सम्भव है कि सब रकम अन्य शाखाओं में लग जाने पर जिस शाखा ने रकम लौटाई है उसे शायद समय पर न मिले। पर इस ख्याल से कि सब शाखायें संघ की हैं, संघ के समूचे काम के लिये किसी शाखा विशेष को रकम की तंगी भोगनी पड़े तो वह सहन करनी चाहिये। सब शाखाओं को यह भी अपना कर्तव्य मानना चाहिये कि केन्द्रीय दफ्तर को जरूरत हो तब अपना काम कम करके भी रकम लौटा देवें। शाखाओं में भी परस्पर में कर्ज या एडवांस रकम लेने देने का ख्याल छोड़ देना चाहिये, और खरीदे हुए माल की कीमत वक्त पर देनी चाहिये।

गाधीजी —यह सब बिल्कुल ठीक है।

× × × ×

आजूजी —हमारे कार्यकर्ताओं के दिल में प्रांतीयता और जातीयता के भाव बिल्कुल न रहने चाहिये। शाखा में अधिकतर कार्यकर्ता प्रांतीय रहना स्वाभाविक है, पर जरूरत हो तो पर प्रांतवालों को भी अपने दफ्तर में लेने में शाखा के किसी अधिकारी के मन में झिझक न रहनी चाहिये। वास्तव में पर प्रांत के होकर भी जो प्रांत के बाशिन्दे हो गये हैं उन्हें प्रांतीय ही समझना चाहिये। मद्रास में तामिलनाड और आंध्र के अलग २ भंडार चल रहे हैं यह बात प्रांतीयता की पोषक समझनी चाहिये।

गाधीजी —बिल्कुल ठीक है।

जाजूजी —खादी की उत्पत्ति और बिक्री को बढ़ाने के लिये पूरी कोशिश करनी ही है, तथापि उस धुन में हम अपने सिद्धान्तों को गौण स्थान दें यह उचित न होगा।

(१) आसानी से न बिकने लायक, खराब या कम टिकने वाला कपड़ा रख कर, छपाकर अर्थात् उसे ज्यादा कीमत का बनाकर बेचना, एक धोने से निकल जाने वाली सफ़ाई के लिये मेहनत कर सूत कमजोर करना, रूखे सूत के कपड़े पर मांडी लगाकर इस्तरी कर उसे कड़ा बनाना आदि बातें उचित नहीं मालूम होतीं।

(२) एक शाखा का दूसरी शाखा के क्षेत्र पर आक्रमण या परस्पर कमीशन की खींचातानी गैरवाजिब मालूम होती है।

(३) ग्राहक की शौकीया रुचि की दृष्टि से हमारा काम बढ़ा लेने में बहुत दिक्कतें आती हैं। खादी के हित में जरूरी है कि आप हम लोगों को इस विषय में उचित मार्गदर्शन करावें।

(४) हमको अपनी खादी, अभी जो खादी नहीं पहिनते हैं उनमें ले जानी तो है ही, लेकिन जो केवल शौकीनी की दृष्टि से कुछ विशेष प्रकार का ही माल लेते हैं, उस बिक्री पर हर्ष मानना और उसी दृष्टि से माल बनाने की दिक्कतें पैदा करना उचित नहीं दीखता।

गांधीजी —३-४ में कुछ विचार की आवश्यकता है बाकी ठीक है।

× × × ×

जाजूजी —सरकार देशी राज्य या म्युनिसिपल कमेटियों आदि को खादी बेचने की नीति पर पुनर्विचार करने की ज़रूरत है। हम उनकी आवश्यकताओं के अनुसार माल नहीं दे सकते। उनके अधिकारियों को खादी में विश्वास नहीं, इसलिये कई अड़चनें खड़ी होती हैं। नतीजा खादी का बदनाम होना होता है। कई म्युनिसिपालिटियों आदि के सदस्य स्वयं खादी न पहनते हुए भी कई कारणों से खादी खरीदने के लिये ज़्यादा से अधिक पैसा खर्च करने की मंजूरी दे देते हैं। हम इस दशा में उनको खादी देने की कोशिश करते हैं, यह उचित नहीं मालूम होता।

गांधीजी —मत कोशिश न करें लेकिन कोई मांगने की कोशिश करे तो हम उनको रोकें नहीं। हर केस को उसके गुण दोष से देखें।